

विवरणिका

सामान्य व ग्रामीण आउटलेट

के लिए

डीलरों के चयन हेतु पुस्तिका



जून 2023

## विषयसूची

क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
	परिचय	3
1	लोकेशन की पहचान	3
2	आरक्षण	4
3	रिटेल आउटलेट साइटों का प्रकार	5
4	व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता/योग्यता मानदंड	5
5	गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता/योग्यता मानदंड	18
6	रिटेल आउटलेट प्रबंधन	19
7	सह-मालिक पति/ पत्नी	19
8	आरओ डीलरशिप के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं	20
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा-SC/ST) श्रेणी के डीलरशिप को वित्तीय/आर्थिक सहायता की योजना	22
10	अयोग्यता	24
11	शपथ पत्र	28
12	गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क	28
13	गैर-वापसीयोग्य निर्धारित शुल्क / बोली राशि	29
14	चयन प्रक्रिया	29
15	प्रत्यक्ष पत्रों का सत्यापन (एफवीसी)	37
16	लेटर ऑफ इन्टेन्ट (आशय पत्र)	37
17	उम्मीदवारी रद्द करने/एलओआई वापस लेने के परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया	38
18	शिकायत निवारण प्रणाली	38
19	डीलरशिप की कमीशनिंग	40
20	जमानत राशि (एसडी) / प्रारम्भिक जमानत राशि (आईएसडी)	40
21	डीलरशिप का कार्यकाल	42
22	गलत सूचना/जानकारी	42
23	अनुप्रयोगों में गैर-सुधार योग्य कमियों की सूची	42
24	उपयोगकर्ता पुस्तिका पेट्रोल पंप डीलर चयन पोर्टल के लिए	62
25	परिशिष्ट	77

**नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलरों के चयन पर दिशानिर्देश  
डॉ/बोली प्रक्रिया के माध्यम से**

## **परिचय**

इस चयन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (i) पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदक आगे की चयन प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएंगे।
- (ii) कॉर्पस फंड योजना के तहत कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट, डीलर के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट और कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट के लिए अलग-अलग चयन प्रक्रिया है।
- (iii) "बी"/"डीसी" साइट रिटेल आउटलेट्स (आरओ) के लिए मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म (एमडीएन) में छूट दी गई है।
- (iv) तेल विपणन कंपनी के मौजूदा अव्यवहार्य एसकेओ डीलर आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (v) डीलर के रूप में नियुक्ति पर अजा/अजजा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की कॉर्पस फंड योजना का लाभ उठा सकते हैं।

## **1. लोकेशन की पहचान**

रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए लोकेशन की पहचान संबंधित तेल कंपनी द्वारा वाणिज्यिक/न्यूनतम मात्रा के आधार पर की जाती है। तदनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा निम्नानुसार नियमित और ग्रामीण आउटलेट स्थापित किए जाते हैं: -

- (i) नियमित आरओ: राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) / राज्य राजमार्ग (एसएच) आदि) और शहरी / अर्ध शहरी क्षेत्रों (किसी शहर / कस्बे की नगरपालिका सीमा के भीतर) पर लोकेशन।
- (ii) ग्रामीण आरओ: ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोकेशन, लेकिन जो राजमार्गों (एनएच/एसएच आदि) पर नहीं है और किसी शहर/कस्बे की नगरपालिका सीमा के बाहर है।

## 2. आरक्षण

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है: -

वर्ग	अजा/अजजा	अपिव	ओपन	टोटल
<b>संयुक्त श्रेणी 1 (सीसी1)</b> इसमें शामिल है:- (i) रक्षा कार्मिक एवं (ii) अर्धसैनिक कार्मिक/केंद्र/राज्य सरकार। और केंद्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी	2	2	4	8
<b>संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2)</b> इसमें शामिल हैं:- (i) उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और (ii) स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) (iii) प्राइमरी एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS)	0	0	1	1

वर्ग	अजा/अजजा	अपिव	ओपन	टोटल
शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच)	1	1	1	3
अजा/अजजा	19.50			19.50
अपिव		24		24
ओपन			44.50	44.50
टोटल	22.50	27	50.50	100

(अ) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में आरक्षण निम्नानुसार होगा: -

राज्य	अजजा श्रेणी को प्रदान की जाने वाली नियमित और ग्रामीण आरओ डीलरशिप का प्रतिशत	शेष प्रतिशत खुली श्रेणी (ओपन कैटेगरी) को दिया जाएगा
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

### 3. रिटेल आउटलेट साइटों के प्रकार

साइटों के प्रकार तेल कंपनियों द्वारा नियमानुसार तय किया जाएगा।

क्रम सं.	साइट का प्रकार	भूमि एवं सुविधाओं की स्थिति
i.	कॉर्पोस फंड योजना (सीएफएस साइटें) के तहत लोकेशन	प्रस्तावित भूमि को लीज़ पर लिया जाएगा/खरीदा जाएगा और कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइट के रूप में पूरी तरह से विकसित किया जाएगा।
ii.	कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली अन्य साइटें ("सीसी"/ "ए" साइटें)	प्रस्तावित भूमि को लीज़ पर लिया जाएगा/खरीदा जाएगा और कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइट के रूप में पूरी तरह से विकसित किया जाएगा।
iii.	डीलर के स्वामित्व वाली साइटें ("डीसी" / "बी" साइटें)	प्रस्तावित भूमि और सुपर स्ट्रक्चर का विकास डीलर द्वारा किया जाएगा। पंप, टैंक, ऑटोमेशन, साइनेज आदि कॉर्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट: प्रस्तावित भूमि या तो आवेदक से या भूमि के मालिक से सीधे ली जा सकती है।

अजा/अजजा श्रेणी के रूप में विज्ञापित सभी स्थानों को उपरोक्त (i) के अनुसार विकसित किया जाएगा।

### 4. व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड - स्वामित्व/साझेदारी

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाली सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता मानदंड (आवेदन की तिथि के अनुसार जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(i) नागरिकता: भारतीय नागरिक।

(ii) आवासीय स्थिति: भारत का निवासी (आयकर नियमों के अनुसार)

(iii) पैन: आवेदन की तिथि तक वैध पैन कार्ड होना चाहिए।

(iv) आयु: सीसी2 श्रेणी के तहत स्वतंत्रता सेनानी को छोड़कर, 21 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष से अधिक नहीं।

आयु के प्रमाण के साथ 10वीं कक्षा का बोर्ड प्रमाणपत्र/10वीं कक्षा की प्रति/स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र/माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/पासपोर्ट/चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड संलग्न होनी चाहिए। हालाँकि, उम्र के प्रमाण के समर्थन में प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ में जन्म तिथि, महीना और वर्ष शामिल होना चाहिए और उम्र के प्रमाण के लिए

उम्मीदवार द्वारा जिस प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया है, उसका आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

**(v) शैक्षणिक योग्यता:**

न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण (बोर्ड/स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा)।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्या 15012/8/82-Estt (D) दिनांक 12.02.1986 के अनुसार सशस्त्र बलों द्वारा जारी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।

विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्डों से शैक्षिक योग्यता के लिए, आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सीसी2 श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं है।

**(vi) भूमि (सभी श्रेणियों के लिए लागू):**

आवेदकों को आवेदन पत्र में प्रस्तावित भूमि या उनके द्वारा अप्रस्तावित भूमि के आधार पर नीचे उल्लिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा: -

**ग्रुप - 1:** आवेदकों के पास विज्ञापित लोकेशन/क्षेत्र में स्वामित्व/दीर्घकालिक लीज़ के माध्यम से न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए या ओएमसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार है।

**ग्रुप - 2:** आवेदकों के पास न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए खरीद या दीर्घकालिक लीज़ के लिए या तेल विपणन कंपनी द्वारा विज्ञापित भूमि के उपयुक्त टुकड़े के लिए पक्का प्रस्ताव है।

**ग्रुप-3:** जिन आवेदकों ने आवेदन में जमीन की पेशकश नहीं की है। (केवल अजा/अजजा श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए लागू)

ग्रुप-3 के तहत आवेदनों पर तभी कार्रवाई की जाएगी/भूमि की पेशकश करने की सलाह दी जाएगी (परिशिष्ट-द) यदि कोई पात्र आवेदक नहीं मिलता है या ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के तहत किसी आवेदक का चयन नहीं होता है।

यदि ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के अंतर्गत सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि उपयुक्त/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती पाई जाती है, तो ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के आवेदकों के साथ-साथ ग्रुप-3 के अंतर्गत आने वाले आवेदक (जिन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया था) आवेदन के साथ भूमि को तेल विपणन कंपनी द्वारा

एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर विज्ञापित लोकेशन/खंड में उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की सलाह दी जाएगी। यदि आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहता है या प्रदान की गई भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**भूमि की पेशकश के संबंध में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं:-**

क) आवेदन की तिथि ( तारीख) पर आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और विज्ञापन की तिथि से या उसके बाद की तिथि से कम से कम 19 वर्ष और 11 महीने (जैसा कि संबंधित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित किया गया है) का लीज़ होना चाहिए, लेकिन आवेदन की तिथि के बाद नहीं होना चाहिए। यदि प्रस्तावित भूमि दीर्घकालिक लीज़ पर है और कई मालिक हैं, तो प्रस्तावित भूखंड के सभी सह-मालिकों द्वारा लीज़ करार निष्पादित किया जाना चाहिए। यदि सभी सह-मालिकों द्वारा लीज़ करार निष्पादित नहीं किया गया है; ऐसे लीज़ करार को अवैध माना जाएगा।

ख) यदि प्रस्तावित भूमि दीर्घकालिक लीज़ पर है, तो लीज समझौते में प्रस्तावित भूमि को सब-लीज़ पर देने का प्रावधान होना चाहिए, जहां भी कॉर्पस फंड स्कीम (सीएफएस) और अन्य कॉर्पोरेशन स्वामित्व वाली साइटों ("ए लोकेशन" सीसी साइट) के तहत विज्ञापित हैं।

यदि यह पाया जाता है कि अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित भूमि के लिए लीज़ समझौते में भूमि को सब-लीज़ पर देने का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे मामलों में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को (एस एम एस/ई मेल द्वारा) सूचना की तारीख से 21 दिन का समय प्रदान किया जाएगा (लीज समझौते में उपयुक्त संशोधन/परिशिष्ट बनाने और उसे संबंधित ओएमसी को जमा करने के लिए)

ग) डीलर के स्वामित्व वाली साइटों ("बी" / "डीसी" साइटों) के लिए, आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक द्वारा व्यवस्थित भूमि या तो आवेदक के नाम पर पंजीकृत है या संबंधित द्वारा विज्ञापित न्यूनतम अवधि के लिए आवेदक के पक्ष में तेल कंपनी आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों के अनुसार लीज़ पर दी गई है। आवेदक द्वारा उपरोक्त के अनुपालन के बाद ही तेल विपणन कंपनी द्वारा प्रस्तावित भूमि में सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा लंबी अवधि के लीज़ पर भूमि प्राप्त की जाती है, तो लीज़ विज्ञापन की तारीख से या उसके बाद की तारीख से 19 वर्ष 11 महीने की अवधि तक वैध होना चाहिए, लेकिन आवेदन की तारीख से बाद में तक नहीं।

घ) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइटों ("ए" / "सीसी" / "सीएफएस" साइटों) के लिए, आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक द्वारा दी गई भूमि तेल विपणन कंपनी के नाम पर दीर्घकालिक लीज़ के माध्यम से या एकमुश्त बिक्री के माध्यम से पंजीकृत है। प्रस्तावित भूमि में सुविधाओं के विकास के लिए तेल विपणन कंपनी द्वारा कोई भी निवेश करने से पहले। दीर्घकालिक लीज़ के मामले में, लीज़ विज्ञापन की तारीख से या उसके बाद की तारीख से 19 वर्ष 11 महीने की अवधि तक वैध होना चाहिए, लेकिन आवेदन की तारीख से बाद तक नहीं।

च) जब भी तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दी जाए, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को आवेदन की तिथि के अनुसार, भूमि के स्वामित्व की स्थिति की पुष्टि करने वाले राजस्व अधिकारी से प्राप्त खसरा / खतौनी या किसी अन्य समकक्ष राजस्व दस्तावेज या प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी चाहिए।

जब भी तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दी जाएगी, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को **परिशिष्ट - V** के अनुसार प्रस्तावित प्लॉट का साइट मैप / लेआउट स्केच अपलोड करना होगा।

छ) उपरोक्त के अलावा, जब भी तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दी जाए, ग्रुप-1 के तहत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को डीलरशिप के लिए प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की एक प्रति भी अपलोड करनी चाहिए। दस्तावेज आवेदन की तारीख को या उससे पहले निष्पादित / पंजीकृत / जारी किए गए होने चाहिए: -

- पंजीकृत विक्रय विलेख/पंजीकृत उपहार विलेख
- न्यूनतम 19 वर्ष और 11 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत लीज करार (जैसा कि संबंधित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित किया गया है) ।
- किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व/हस्तांतरण विलेख दस्तावेज
- सरकारी/अर्ध सरकारी निकायों द्वारा जारी पट्टा समझौता या फर्म आवंटन पत्र

ज) परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि भी आवेदक (ग्रुप -1) की मानी जाएगी, जो संबंधित परिवार के सदस्यों से शपथ पत्र (**परिशिष्ट - III**) के रूप में सहमति पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी। शपथ पत्र के रूप में ऐसा सहमति पत्र संबंधित परिवार के सदस्य द्वारा आवेदन की तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज) इस प्रयोजन के लिए, परिवार के सदस्यों में शामिल होंगे: -

- i. स्वयं
- ii. जीवनसाथी
- iii. सौतेले पिता/सौतेली मां सहित पिता/माता
- iv. भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन
- v. बेटा/बेटी/सौतेला बेटा/सौतेली बेटी
- vi. दामाद / बहू
- vii. सास-ससुर
- viii. दादा-दादी (मातृ एवं पैतृक दोनों)

झ) ग्रुप 2 के आवेदकों के लिए, भूमि की "पक्की पेशकश" में खरीद/दीर्घकालिक लीज (तेल विपणन कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार) के समझौते के आधार पर तीसरे पक्ष से भूमि की पेशकश शामिल होगी। आवेदन की तारीख पर या उससे पहले तीसरे पक्ष (भूमि मालिक) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (**परिशिष्ट - III**) के रूप में भूमि प्रस्ताव पत्र आवेदक के साथ उपर्युक्त खंड (ई और एफ) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध होना चाहिए। डीलरशिप के लिए प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जिसे तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर आवेदक को जमा करना होगा।



ज) यदि प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण (बिक्री/लीज़/उपहार) करार पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत) धारक द्वारा निष्पादित किया गया है और/या शपथ पत्र (परिशिष्ट - III) के अनुसार प्रस्ताव पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (पंजीकृत) से है, जब भी तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दी जाएगी, आवेदक को उपरोक्त खंड (ई और च) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ पीओए की एक प्रति भी जमा करनी होगी। पीओए (पंजीकृत) उस तारीख का होगा जो निष्पादन कन्वेयंस (बिक्री/लीज़/उपहार) करार और/या प्रस्ताव पत्र की तारीख पर या उससे पहले है।

ट) भूमि के संबंध में आवेदक की पात्रता (ग्रुप - 1 या ग्रुप - 2) तेल विपणन कंपनी द्वारा तय की जाएगी।

ठ) यदि आवेदक या परिवार के सदस्यों के पास तीसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमि है, तो एक शपथ पत्र (परिशिष्ट - III) और / या पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत) के रूप में सहमति पत्र स्पष्ट रूप से आवेदक को ऐसे उपयोग के लिए अधिकृत करता है, तीसरे व्यक्ति से भी भूमि की आवश्यकता है। हलफनामे (परिशिष्ट - III) या पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत) के रूप में ऐसा सहमति पत्र संबंधित तीसरे व्यक्ति द्वारा आवेदन की तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ण) स्वामित्व/फर्म प्रस्ताव को परिभाषित करने के लिए स्वामित्व की विभिन्न स्थितियाँ इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	स्वामित्व की स्थिति	भूमि में आवेदक का हिस्सा	अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़	मूल्यांकन का रूप
<b>ग्रुप 1</b>				
1	स्वयं	पूर्ण	कोई नहीं	स्वामित्व वाला
2	स्वयं परिवार के सदस्यों के पास या विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में	अंश/शून्य	परिवार के सदस्यों से शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र - <b>परिशिष्ट-III</b>	स्वामित्व वाला
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य स्वामियों के साथ स्वयं</li> <li>अन्य मालिकों के साथ परिवार के सदस्य</li> <li>परिवार के सदस्यों और अन्य स्वामियों के साथ स्वयं</li> </ul>	<p>अंश</p> <p>शून्य</p> <p>अंश</p>	<p><b>यदि आवेदक और/या परिवार के सदस्यों का हिस्सा कंपनी द्वारा आवश्यक भूमि से अधिक या उसके बराबर है।</b></p> <p>सभी सह-मालिकों से स्टांप पेपर पर सहमति पत्र या एक शपथ पत्र या पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की जानी चाहिए - <b>परिशिष्ट-III</b></p>	स्वामित्व वाला

4	सरकारी/अर्धसरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि	पूर्ण	पेट्रोल पंप के उपयोग के लिए विशिष्ट उल्लेख के साथ स्वयं के नाम पर सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों से आवंटन पत्र।	स्वामित्व वाला
<b>ग्रुप 2</b>				
5	आंशिक या पूर्ण रूप से तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि	अंश /शून्य	अन्य मालिकों से शपथ पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में सहमति पत्र - <b>परिशिष्ट III</b>	स्थायी प्रस्ताव

त) प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में यह घोषित करना होगा कि प्रस्तावित भूमि किस श्रेणी में आती है। हालाँकि, यह सलाह दी जाती है कि आवेदन में प्रस्तावित भूमि की श्रेणी घोषित करने से पहले, प्रत्येक आवेदक को अपने हित में, एक वकील के माध्यम से इसे सत्यापित कर लेना चाहिए।

आवेदक की भूमि जिस ग्रुप के अंतर्गत आती है, उस पर आवेदन में दी गई घोषणा के आधार पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, इस पहलू को तेल विपणन कंपनी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि आवेदक द्वारा घोषित ग्रुप में नहीं है, तो भूमि पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदक को अयोग्य किया जाएगा। हालाँकि, ग्रुप-2 आवेदकों के मामले में, यदि प्रस्तावित भूमि तेल विपणन कंपनी द्वारा ग्रुप-1 में पाई जाती है, तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर ग्रुप-2 के तहत चयन के लिए विचार किया जाएगा।

अजा/अजजा (SC / ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए, यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि आवेदक द्वारा घोषित ग्रुप में नहीं है, तो भूमि पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदक को ग्रुप - 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मूल रूप से ग्रुप - 3 में था या पहले ही ग्रुप - 3 में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो उम्मीदवार को अयोग्य बना दिया जाएगा। ग्रुप-2 आवेदकों के मामले में, यदि प्रस्तावित भूमि ओएमसी द्वारा ग्रुप-1 में पाई जाती है, तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर ग्रुप-2 के तहत चयन के लिए विचार किया जाएगा।

थ) यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आवेदन की तिथि के अनुसार:-

(i) प्रस्तावित भूमि सड़क की राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) लाइन छोड़ने के बाद विज्ञापित आयाम को पूरा करती है और सड़क की आरओडब्ल्यू के बगल में स्थित होनी चाहिए।

(ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित नहीं है।

(iii) भूमि मालिक का आरओडब्ल्यू लाइन के आरंभ/किनारे से प्रस्तावित भूमि पर कब्जा है।

(iv) आरओडब्ल्यू और प्रस्तावित प्लॉट के बीच की भूमि में सरकारी सहित कोई अन्य भूमि नहीं है,

(v) प्रस्तावित भूमि विज्ञापित लोकेशन/विस्तार के अंतर्गत आती है।

इसके अलावा, भूमि मूल्यांकन के समय निम्नलिखित के अनुपालन के लिए प्रस्तावित भूमि की भी जाँच की जाएगी। प्रस्तावित भूमि निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही स्वीकृत की जायेगी:-

(i) प्रस्तावित भूमि को पार करने वाली कोई एचटी लाइन (> 11 केवी) नहीं है।

(ii) एनएच पर साइटों के लिए, प्रस्तावित भूमि को एनएचएआई मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

**नोट:** यदि बाद में, चयन के दौरान यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूखंड उपरोक्त शर्तों में से किसी को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और आवेदक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हालाँकि, अजा/अजजा (SC / ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित लोकेशन के लिए, ऐसे उम्मीदवारों को ग्रुप - 3 के तहत आवेदकों के साथ एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भूमि की पेशकश करने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे भूखंड पर रिटेल आउटलेट (ईंधन स्टेशन) स्थापित करने के लिए लागू एनएचएआई मानदंडों को <https://morth.nic.in> से देखा जा सकता है।

द) चयन के बाद अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों का सत्यापन, क्रेडेंशियल्स की जांच / फील्ड सत्यापन (एफवीसी) के समय किया जाएगा।

### नोट 1:

- क) "स्वयं" का अर्थ है पंजीकृत बिक्री करार, पंजीकृत उपहार करार, आदि या संपत्ति का शीर्षक या आवेदक / परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत लंबी लीज (व्यक्तिगत ओएमसी मानदंडों के अनुसार) के माध्यम से स्वामित्व होना, जैसा कि ऊपर 4 (vi) और 4 (vi) (ज) में परिभाषित है ।
- ख) यदि कोई आवेदक एक से अधिक भूमि की पेशकश करता है, तो मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने वाले भूमि के भूखंड के संबंध में भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी) द्वारा आवेदक से लिखित में पुष्टि प्राप्त की जायेगी
- ग) किसी विज्ञापन के तहत किसी विशेष आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा भूमि का एक ही टुकड़ा पेश नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि के एक ही टुकड़े की पेशकश के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और यदि आवंटन किया गया है, तो वह रद्द होने के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा। इस पहलू का सत्यापन तेल विपणन कंपनी द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। हालाँकि, यदि समान भूमि विवरण (खसरा/गट्टा/खतौनी/सर्वेक्षण/प्लॉट/दाग/गुट संख्या आदि) वाले भूखंड अलग-अलग आवेदकों द्वारा पेश किए जाते हैं, तो ऐसे मामले अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, बशर्ते कि किसी भी प्रकार का कोई ओवरलैप न हो और उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि का स्पष्ट सीमांकन है।
- घ) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को प्रवेश / निकास / एक्सेलरेशन लेन / डी-एक्सेलरेशन लेन / सर्विस रोड सहित प्रस्तावित भूमि को अच्छी मिट्टी / मुरम, परत के साथ काटने / भरने (जैसा लागू हो) द्वारा सड़क स्तर तक विधिवत विकसित करना होगा, संबंधित ओएमसी की संतुष्टि के लिए मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को ओएमसी के अनुमोदन के अनुसार, साइट की स्थितियों के डिजाइन अनुसार रिटेनिंग दीवार और 1.5 मीटर की ऊंचाई की कंपाउंड दीवार भी उपलब्ध

करानी होगी। ओएमसी द्वारा प्रस्तावित प्लॉट पर कोई भी निवेश करने से पहले उपरोक्त कार्यों को अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

- ७) आवेदक से प्रस्तावित भूमि लेने के लिए तेल कंपनी द्वारा कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यदि कोई आवेदक, चयन के बाद, पत्र की तारीख से 2 महीने (गुप 1 के लिए) और 4 महीने (गुप 2 के लिए) की अवधि के भीतर आवेदन में दर्शाई गई प्रस्तावित भूमि के संबंध में प्रासंगिक भूमि दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ है। आशय पत्र (एलओआई), तेल कंपनी को डीलरशिप के आवंटन के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार के पक्ष में जारी एलओआई को रद्द / वापस लेने का अधिकार होगा।

## नोट 2: अजा/अजजा (SC / ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित लोकेशनों हेतु:

ऐसे स्थानों के मामले में जहां आवेदक ने आवेदन (गुप - 3) में भूमि की पेशकश नहीं की है या यदि गुप - 1 और गुप - 2 के तहत सभी आवेदकों की प्रस्तावित भूमि निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दी गई है, तो ऐसे सभी आवेदकों को विज्ञापित लोकेशन/विस्तार में भूमि या वैकल्पिक भूमि (जैसा भी मामला हो) की पेशकश करने का अवसर दिया जाएगा, बशर्ते, आवेदक अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

प्रस्ताव पत्र की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर इन आवेदकों को भूमि/वैकल्पिक भूमि की पेशकश करने के लिए एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

तेल विपणन कंपनी से भूमि की पेशकश करने की सलाह प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि की पेशकश ऑनलाइन जमा करनी चाहिए और उस श्रेणी को इंगित करना चाहिए जिसके अंतर्गत भूमि आती है (गुप - 1 या गुप - 2)। चयन होने पर, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को शपथ पत्र (परिशिष्ट - III) और/या पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत), यदि लागू हो, के रूप में सहमति पत्र के साथ प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के आधार पर दो समूहों यानी गुप - 1 और गुप - 2 में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि आवेदक निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि/वैकल्पिक भूमि की पेशकश करने में विफल रहता है, तो प्रस्ताव पत्र वापस ले लिया जाएगा, और आवेदक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करते हुए आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

आवेदक को केवल एक अवसर दिया जाएगा, या तो भूमि की पेशकश के लिए (यदि आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ कोई भूमि की पेशकश नहीं की है) या अजा/अजजा (SC / ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के आवेदकों को दी गई वैकल्पिक भूमि की पेशकश के लिए (यदि भूमि की पेशकश की गई है) जिन आवेदकों ने आवेदन के साथ भूमि की पेशकश की है, उन्हें जांच/भूमि मूल्यांकन/चयन के बाद भूमि की अस्वीकृति के दौरान निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते पाया गया है।

### **नोट 3:**

- I. चयन के बाद यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि कई व्यक्तियों के सह-स्वामित्व वाली है और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार ने सभी सह-स्वामियों की सहमति प्रदान नहीं की है, तो अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को सहमति प्राप्त करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। प्रस्तावित भूमि के लिए सभी सह-मालिकों की, ऐसा न करने पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। हालाँकि, अजा/अजजा ( SC / ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए ऐसे उम्मीदवारों को ग्रुप - 3 आवेदकों के साथ अवसर मिलेगा, बशर्ते वह मूल रूप से ग्रुप - 3 में नहीं था या पहले ग्रुप - 3 में स्थानांतरित नहीं किया गया हो।
- II. आवेदन की तारीख से पहले की तारीख के शपथ पत्र (परिशिष्ट - III) के रूप में सहमति पत्र पर ही विचार किया जाएगा।
- III. यदि चयन के बाद यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि में तेल विपणन कंपनी (सीएफएस / सीसी साइटों के लिए) द्वारा आवश्यक सब-लीज़ शामिल नहीं है, तो अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को लीज़ समझौते में उपयुक्त संशोधन / परिशिष्ट बनाने के लिए 21 दिनों का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।  
हालाँकि, अजा/अजजा (SC/ST) श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए ऐसे उम्मीदवारों को ग्रुप - 3 आवेदकों के साथ अवसर मिलेगा, बशर्ते वह मूल रूप से ग्रुप - 3 में नहीं था या पहले ग्रुप - 3 में स्थानांतरित नहीं किया गया हो।

(vii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में आवेदन करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

**क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (अजा/अजजा) (SC / ST):**

भारत के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा) से संबंधित उम्मीदवार पात्र होंगे। आवेदकों को सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी, जो प्रमाणित करती है कि उम्मीदवार **परिशिष्ट-VI** के अनुसार अजा/अजजा (SC/ST) का है।

नोट: जहां भी लागू हो, आवेदकों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

**ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (OBC):**

भारत के संविधान के तहत भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा अपिव के रूप में मान्यता प्राप्त और/या संबंधित राज्य द्वारा अपिव के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार, जिसमें लोकेशन विज्ञापित किया गया है, पात्र होंगे।

उम्मीदवारों को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर, भारत सरकार और/या संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें लोकेशन का विज्ञापन किया गया है, यह प्रमाणित

करते हुए कि उम्मीदवार अपिव (OBC) से संबंधित है, जो की प्रमाणित करता हो की प्रमाण पत्र भारत सरकार, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प/राजपत्र अधिसूचना द्वारा अपिव के रूप में मान्यता प्राप्त वर्ग के लिए है। अपिव प्रमाणपत्र (परिशिष्ट - VII ए) के साथ, उम्मीदवार को एक शपथ पत्र (परिशिष्ट - VII बी) भी जमा करना होगा कि वह अपिव श्रेणी से संबंधित है और गैर-क्रीमी लेयर स्थिति को पूरा करता है। शपथ पत्र की तारीख (परिशिष्ट - VII B) को उम्मीदवार की अपिव स्थिति की गणना करने की तारीख के रूप में और यह भी निर्धारित करने के लिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है, माना जाएगा। अंडरटेकिंग विज्ञापन की तारीख के बाद किसी भी तारीख का होना चाहिए।

### **(ग) रक्षा कार्मिक (डीईएफ)**

रक्षा कार्मिक का अर्थ सशस्त्र बलों (अर्थात सेना, नौसेना, वायु सेना) के कर्मियों से है और इसमें शामिल होंगे:

- (i) सशस्त्र बलों के उन सदस्यों की विधवाएं/आश्रित जो युद्ध में या किसी कारणवश मारे गए।
- (ii) भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध में अक्षम हैं/जिम्मेदार कारणों से अक्षम हैं
- (iii) सक्षम शरीर वाले भूतपूर्व सैनिक

उपरोक्त (i) और (ii) के तहत कवर की गई इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, सरकार से जारी मूल पात्रता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एक आरओ डीलरशिप के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र दूसरे आरओ डीलरशिप के लिए मान्य नहीं है और इसलिए एक उम्मीदवार को केवल तभी पात्र माना जा सकता है जब उसे वर्तमान विज्ञापन के संदर्भ में विशेष लोकेशन के लिए प्रायोजित किया गया हो।

उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाली इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर की प्रति जमा करनी चाहिए।

### **घ) अर्धसैनिक कार्मिक (पीएमपी) और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिक सहित सरकारी कार्मिक :**

केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कार्मिक जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय अक्षम हैं, इस श्रेणी के तहत पात्र होंगे। आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय मृत्यु के मामले में, उनकी विधवाएं/आश्रित इस श्रेणी के तहत पात्र होंगे।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर इन में से कोई एक दस्तावेज़ जमा करना होगा।

क. केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के कर्मियों के लिए परिशिष्ट-VIII के अनुसार प्रासंगिक प्रमाण पत्र की एक प्रति, जिस पर सरकार के अवर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो।

ख. केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों के लिए, केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक/मानव संसाधन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट - VIII के अनुसार प्रासंगिक प्रमाण पत्र की एक प्रति।

ग. पीएमपी के कर्मियों के लिए कार्मिक/मानव संसाधन या इकाई के कमांडेंट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट - VIII के अनुसार प्रासंगिक प्रमाण पत्र की एक प्रति

### **ड) शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) श्रेणी:**

इस श्रेणी के आवेदकों को राजपत्र अधिसूचना संख्या द्वारा जारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (r) के तहत परिभाषित लक्ष्य ग्रुप के अंतर्गत आने वाले मानदंडों को पूरा करना चाहिए। **इसलिए राजपत्र क्रमांक 1215 ( E) दिनांक 19.04.2017** इस श्रेणी के अंतर्गत न्यूनतम 40% विकलांगता वाले आवेदक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

अंगों के विच्छेदन या स्थायी पक्षाघात या बौनेपन के मामले में और अंधेपन के मामले में "पीएच" श्रेणी के लिए आरक्षित लोकेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को **परिशिष्ट - IXA** के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

एकाधिक विकलांगता के मामले में "पीएच" श्रेणी के लिए आरक्षित लोकेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को **परिशिष्ट - IXB** के अनुसार जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

अन्य विकलांगताओं के मामले में जो परिशिष्ट - IXA और परिशिष्ट - IXB के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, "पीएच" श्रेणी के लिए आरक्षित लोकेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को **परिशिष्ट - IXC** के अनुसार जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

**परिशिष्ट - IXA, परिशिष्ट - IXB और परिशिष्ट - IXC** के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र "अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण" द्वारा जारी किया जाना चाहिए, अर्थात्, भारत के राजपत्र असाधारण नई दिल्ली के अनुसार केंद्र / राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड।

यदि **परिशिष्ट IX-C** के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो प्रमाण पत्र को केवल तभी वैध माना जाएगा जब वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक / सरकारी अस्पताल प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

आवेदकों को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट - IXA या IXVB या IXC**, जैसा भी लागू हो) की एक प्रति जमा करनी होगी।

### **च) आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (ओएसपी):**

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

- अर्जुन पुरस्कार विजेता/खेल रत्न पुरस्कार विजेता।
- ओलंपिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता और मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियन।

• वरिष्ठ स्तर (पुरुष और महिला) के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रथम स्थान धारक इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने वाले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महासंघ (जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो) या युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार से जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

### **छ) स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ):**

आवेदक को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर स्वतंत्रता सेनानी होने का एक प्रमाण पत्र या ताम्रपत्र या गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार महालेखाकार द्वारा जारी पेंशन आदेश की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।

### **(viii) साझेदारी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों की विशिष्ट आवश्यकता:**

साझेदारी के मामले में, प्रत्येक साझेदार को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। हालाँकि, पात्रता के उद्देश्य से साझेदार(ओं) के स्वामित्व वाली भूमि को समग्र रूप से प्रस्तावित फर्म के स्वामित्व में माना जाएगा।

प्रत्येक साझेदार को अलग-अलग गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। हालाँकि, आवेदनों को एक साथ (ऑन-लाइन) जोड़ना होगा। उन्हें प्रस्तावित साझेदारी विलेख की एक प्रति भी जमा करनी होगी।

### **(ix) तेल विपणन कंपनी के मौजूदा एसकेओ डीलरों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड:**

तेल विपणन कंपनी के मौजूदा एसकेओ डीलर (केवल व्यक्तिगत और साझेदारी फर्म) जो ऊपर निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत पात्र हैं, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- i. तेल विपणन कंपनी के मौजूदा एसकेओ डीलर जिनका विज्ञापन के महीने से ठीक पहले 12 महीने के दौरान प्रति माह 75 केएल से कम एसकेओ का औसत आवंटन है, वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आवेदकों को ओएमसी द्वारा सलाह दिए जाने पर, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार/पीएसयू तेल विपणन कंपनी के मण्डल/ क्षेत्रिय/ प्रादेशिक कार्यालय के आवंटन प्राधिकारी से ऐसे आवंटन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदकों के लिए मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंड लागू नहीं होंगे।
- ii. आरओ डीलरशिप आवंटित होने पर, एसकेओ डीलर को आरओ डीलरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप को सरेंडर करना होगा, उन मामलों को छोड़कर जहां बी-साइट एसकेओ डीलर को बी-साइट आरओ डीलरशिप आवंटित की जा रही है। आरओ डीलरशिप के आवेदन करने की पात्रता के लिए, एसकेओ डीलर को विज्ञापन की तारीख से पिछले 5 वर्षों के भीतर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों



के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया होना चाहिए या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, केरोसिन नियंत्रण आदेश या ईएसएमए के तहत डीलरशिप के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।

iii. व्यक्तिगत आवेदकों/साझेदारी फर्म के आवेदकों पर लागू पात्रता मानदंड, एसकेओ डीलरों पर भी लागू होंगे।

### **नोट: प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में:**

1. पात्रता/विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज़, आवेदक के पास उपलब्ध होने चाहिए और आवेदन की तिथि पर वैध होने चाहिए। हालाँकि, रक्षा कर्मियों के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र और एससी/एसटी/ओबीसी आवेदकों के जाति प्रमाणपत्र (आवेदन की तारीख के बाद की तारीख के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तेल कंपनी के सूचित किए जाने के 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

जहां भी जाति वैधता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, उसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित समय के अतिरिक्त 10 दिनों के भीतर (ओएमसी द्वारा प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को सूचना की तारीख से), प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुसार नहीं हैं, परन्तु प्रमाण पत्र का आशय ओएमसी की आवश्यकताओं के अनुसार है तो आवेदकों को अयोग्य नहीं किया जाएगा।

3. प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा पात्रता/विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए लागू प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ सूचना के 10 दिनों के भीतर (लॉटरी/बोली प्रक्रिया के बाद) जमा करना आवश्यक होगा।

यदि प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार लागू प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहता है तो अतिरिक्त 10 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार इस समयावधि के भीतर लागू प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना के तहत खारिज कर दी जाएगी।

प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को 21 दिन के भीतर सुधार योग्य कमी के तहत संशोधित/सुधारित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार 21 दिनों के भीतर आवश्यक संशोधित/सुधारित प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना के तहत खारिज कर दी जाएगी। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए, प्रस्तावित भूमि के संबंध में सुधार योग्य कमी से संबंधित दस्तावेजों के गैर-सुधार/प्रस्तुत न करने के मामले में, आवेदक को ग्रुप - 3 के आवेदकों के साथ एक अवसर दिया जाएगा, बशर्ते कि वह मूल रूप से ग्रुप-3 में नहीं थे या उन्हें पहले ग्रुप-3 में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

4. आवेदक के नाम के परिवर्तन के मामले में, ओएमसी द्वारा सलाह दिए जाने पर आवेदक को नाम परिवर्तन के समर्थन में प्रासंगिक राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी। हालाँकि, महिला आवेदकों का विवाह के उपरान्त किए गये नाम परिवर्तन के मामले में, उचित पर्याय के साथ प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट - X-A हलफनामा पर्याप्त होगा।

## 5. गैर-व्यक्तिगत आवेदकों (इकाई ) के लिए योग्यता मानदंड

गैर-व्यक्तिगत इकाई आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/एजेंसियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी / सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी, संबंधित राज्य के चैरिटी आयुक्त के साथ पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत गठित कंपनियाँ, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ भी शामिल हैं।

गैर-व्यक्तिगत आवेदक केवल 'ओपन' श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं (प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) को छोड़कर जो ओपन सीसी-2 के तहत आरक्षित स्थानों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं) निम्नलिखित के अधीन: -

- (i) आवासीय स्थिति: संस्था भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- (ii) आयु: फर्म/इकाई के पंजीकरण/ निगमन की तिथि आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष पहले की होनी चाहिए।
- (iii) भूमि: भूमि के संबंध में, परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए दिए गए खंडों को छोड़कर, व्यक्तियों के लिए कवर की गई सभी शर्तें लागू होंगी। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित भूमि ग्रुप 1 के लिए या तो स्वामित्व में होनी चाहिए या संस्था के नाम पर दीर्घ अवधि लीज़ पर होनी चाहिए और ग्रुप 2 के लिए इकाई के नाम पर एक पक्की पेशकश होनी चाहिए।
- (iv) वित्त: पंजीकृत सोसायटी/कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित करना चाहिए। हालाँकि, यह शर्त प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के लिए लागू नहीं होगी।

आरक्षित श्रेणी (ओपन-सीसी2) में आवेदन करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

### **प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस):**

आवेदक को तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को "गैर-व्यक्तिगत" संस्था के लिए खंड संख्या 5 के तहत वर्णित अन्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा।

### **नोट:**

- क. डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाली सभी गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं को ड्रॉ/बोली के लिए पात्र बनने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के तहत निर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। भूमि इकाई

के नाम पर होनी चाहिए न कि व्यक्तिगत नाम पर। उनके पास खंड "अयोग्यता" के तहत निर्दिष्ट कोई अयोग्यता मानदंड नहीं होना चाहिए।

- ख. पंजीकृत सोसायटी/धर्मार्थ ट्रस्ट/कंपनियों को यह दिखाने के लिए उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा कि उनकी ओर से आवेदन करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए सशक्त/प्राधिकृत है। इकाई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वह प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- ग. प्रावधानिक रूप से चयनित संस्थाओं द्वारा दस्तावेज़ जमा करने के संबंध में, व्यक्तिगत आवेदकों के तहत दी गई समय सीमा लागू होगी।

## 6. रिटेल आउटलेट प्रबंधन

डीलरशिप के लिए चयनित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से डीलरशिप के मामलों का प्रबंधन करके डीलरशिप के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर ध्यान देना होगा। वह कोई भी रोजगार लेने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि चयनित व्यक्ति पहले से ही कार्यरत है, तो उसे रोजगार से इस्तीफा देना होगा और तेल कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नियोक्ता द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा नियुक्ति पत्र जारी करते समय, एलओआई धारक को नोटरीकृत हलफनामा देना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं है या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियां नहीं ले रहा है (परिशिष्ट - IV)। एलओआई धारक यह भी पुष्टि करेगा कि डीलरशिप के कार्यकाल के दौरान वह निजी क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं लेगा या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियां नहीं लेगा।

यदि चयनित आवेदक या उसकी "पारिवारिक इकाई" के सदस्य किसी भी तेल कंपनी की कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (कोको) सेवा प्रदाता हैं ("पारिवारिक इकाई" जैसा कि खंड 10 ए के नोट (बी) के तहत उल्लिखित है) या इसके लिए एलओआई/एलओए धारण कर रहे हैं तो डीलर के रूप में नियुक्त होने से पहले सीओसीओ सेवा प्रदाता/एलओआई/एलओए को सरेंडर करना होगा।

हालाँकि, एक स्व-रोज़गार व्यक्ति जो किसी भी नियोक्ता के प्रति बाध्य नहीं है, एक रिटेल आउटलेट डीलर हो सकता है, बशर्ते कि वह अपने स्व-रोज़गार उद्यम को जारी रखते हुए डीलरशिप के मामलों को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करके डीलरशिप के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर ध्यान दे।

डीलरशिप के लिए चयनित एक गैर-व्यक्तिगत आवेदक (इकाई) को अपने स्वयं के कर्मचारी(कर्मचारियों) के नियंत्रण/पर्यवेक्षण में और डीलरशिप समझौते के प्रावधानों के अनुरूप डीलरशिप के दैनिक कामकाज/मामलों का प्रबंधन करना होगा।

## 7. सह-मालिक के रूप में जीवनसाथी

व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, एकमात्र मालिक के रूप में आवेदन करने पर, उसकी /उसका जीवनसाथी (यानी, पत्नी/पति) को एलओआई जारी होने के बाद 50% हिस्सेदारी के साथ भागीदार बनाया जाएगा, जब तक कि पति या पत्नी पहले से ही लाभप्रद रूप से नियोजित न हो और/या भागीदार नहीं बनना चाहते। यदि आवेदक

एलओआई जारी करने के समय अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा/विधुर है, तो उसे एक वचन देना होगा कि जब भी उसकी शादी होगी, उसके पति/पत्नी को भागीदार बनाया जाएगा, जब तक कि पति या पत्नी पहले से ही लाभकारी रूप से कार्यरत हैं और/या भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। डीलर चयन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने की किसी भी आवश्यकता के बावजूद पति-पत्नी को साझेदारी के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, उन्हें एकाधिक डीलरशिप मानदंडों, दोषसिद्धि खंड और इस शर्त पर प्रावधानों को पूरा करना चाहिए कि वे सिद्ध कदाचार आदि के लिए समाप्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। यदि जीवनसाथी को भागीदार बनाया जा रहा है, तो एक अलग शपथ पत्र (जैसा कि) परिशिष्ट - **XA** जीवनसाथी से, भागीदार के रूप में शामिल होने/एलओए जारी करने से पहले प्रस्तावित साझेदारी विलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेज ले लिए जाएं। पुनर्गठन नीति के प्रावधान (क) विवाहित आवेदकों/आवंटियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले (ख) अन्य मामलों में शादी के एक वर्ष के भीतर, जीवनसाथी को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के लिए लागू नहीं होते हैं।

एलओआई दिए जाने के बाद, जीवनसाथी को भागीदार बनाने के लिए परिशिष्ट - **IIA** के अनुसार एक पत्र के साथ परिशिष्ट - **II B** के अनुसार जीवनसाथी से एक शपथ पत्र लिया जाएगा, और साझेदारी विलेख के पंजीकरण आदि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज आवेदक (ओ) द्वारा एलओए जारी करने से पहले पूरे किए जाएंगे। दोनों भागीदारों के साथ डीलरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और एलओए जारी किया जाएगा।

यदि जीवनसाथी किसी भी कारण से भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, जिसमें उनका लाभकारी रोजगार होना भी शामिल है, तो रिकॉर्ड के लिए परिशिष्ट - **II B** के अनुसार शपथ पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त खंड के तहत आवेदकों को अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ साझेदारी करने की अनुमति नहीं है।

## 8. रिटेल आउटलेट डीलरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक मूल सुविधाएं

ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार रिटेल आउटलेट पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक हैं। साइट के प्रकार के आधार पर सुविधाएं डीलर (ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट)/ओएमसी द्वारा उपलब्ध कराई जानी हैं, जैसा कि प्रत्येक प्रकार की सुविधा के सामने उल्लेख किया गया है:

क्र. सं.	सुविधा के प्रकार	साइट के प्रकार	
		सीएफएस लोकेशनों सहित "ए" / "सीसी" साइट	"बी"/"डीसी" साइट
		निम्न द्वारा सुविधा का प्रावधान:	
<b>अ</b>	<b>आधारभूत सुविधाएं:</b>		

i.	ओएमसी के विनिर्देशों के अनुसार, एन्ट्री / एक्सिट / ऐक्सेलरेशन लेन / डी ऐक्सेलरेशन लेन / सर्विस रोड / बॉउन्ड्री/कम्पाउन्ड वॉल सहित विकसित भूमि कॉम्पैरिशन के विनिर्देशों के अनुसार	डीलर	डीलर
ii.	टैंक, डिस्पेन्सिंग यूनिट्स, साइनेज, औटोमेशन, आदि।	ओएमसी	ओएमसी
iii.	सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉइलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, इलेक्ट्रिक कनेक्शन (ओएमसी द्वारा सलाह के अनुसार क्षमता), वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग, आदि।	ओएमसी	डीलर
iv.	जेनरेटर/इन्वर्टर	डीलर	डीलर
v.	एयर फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज के साथ कंप्रेसर ( ओएमसी द्वारा निर्धारित)	ओएमसी / डीलर	डीलर
vi.	ड्राइव वे	ओएमसी	डीलर
vii.	कैनोपी (ओएमसी की आवश्यकता के अनुसार)	ओएमसी	डीलर
<b>ब</b>	<b>ग्राहक सुविधा सुविधाएं:</b>		
i.	स्वच्छ पेयजल, शौचालय का साफ-सुथरा रखरखाव , टेलीफोन आदि	डीलर	डीलर

क. **ग्राहक सेवा के लिए** आवश्यक साइट विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं जैसे स्टाफ कम चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, विश्राम कक्ष, रेस्तरां, पीयूसी सुविधा और/समय-समय पर तेल कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अन्य सुविधाएं (जैसा लागू हो) तेल कंपनी/डीलर द्वारा प्रदान की जाएंगी।

ख. **अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरण** डीलर वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार रिटेल आउटलेट पर अग्निशमन/सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगा और उन्हें अपनी लागत पर अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखेगा। इसे संभालने और संचालित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए।

ग. **आवश्यक निवेश:** नए रिटेल आउटलेट्स पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए आवश्यक अनुमानित निवेश विज्ञापन में दर्शाया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार उसे आवंटित आउटलेट पर वांछित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक धनराशि और आउटलेट के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का वचन देगा।

घ. **सांविधिक स्वीकृतियां/एनओसी/लाइसेंस**: संबंधित ओएमसी कार्यालय एलओआई धारक द्वारा प्रस्तावित भूमि के भूखंड पर रिटेल आउटलेट के विकास के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लेआउट/आवेदन तैयार करेगा। एलओआई धारक वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लेआउट/आवेदन की तैयारी को सक्षम करने के लिए प्रस्तावित भूखंड से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित ओएमसी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

एलओआई धारक रिटेल आउटलेट के विकास के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित एनओसी/वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस जारी करने के लिए संबंधित वैधानिक अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

एलओआई धारक को रिटेल आउटलेट डीलरशिप के संचालन के लिए सभी अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना भी आवश्यक है।

ङ. **लाइसेन्स शुल्क**: ओएमसी द्वारा आरओ में भूमि और बुनियादी ढांचे/सुविधाओं के लिए किए गए निवेश के लिए, डीलर द्वारा समय-समय पर लागू अनुसार प्रति केएल आधार पर लाइसेंस शुल्क देय होगा।

कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली "ए" / "सीसी" साइट रिटेल आउटलेट के मामले में, अजा/अजजा श्रेणी की डीलरशिप के लिए कॉर्पस फंड योजना के तहत विकसित आरओ सहित, जीएसटी सहित वर्तमान लाइसेंस शुल्क इस प्रकार हैं: -

पेट्रोल : रु.435.83 / किली

डीजल : रु.363.19 / किली

डीलर के स्वामित्व वाली "बी" / "डीसी" साइट रिटेल आउटलेट के लिए जीएसटी सहित वर्तमान लाइसेंस शुल्क इस प्रकार है: -

पेट्रोल : रु.196.51 / किली

डीजल : रु.163.76 / किली

## 9. "कॉर्पस फंड स्कीम" (सीएफएस) के तहत अनुसूचित जाति(अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के डीलरशिप के लिए आर्थिक सहायता की योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में, डीलरशिप प्रदान करने पर तेल कंपनी द्वारा कॉर्पस फंड योजना के तहत वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी जाएगी:

- क) अजा/अजजाश्रेणियों के लिए आरक्षित लोकेशनों के संबंध में, तेल कंपनी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित और कंपनी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर लियी गई भूमि पर अपनी लागत पर आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार रिटेल आउटलेट उपलब्ध कराएगी।
- ख) ऑयल कंपनी डीलरशिप के संचालन के पूर्ण संचालन चक्र (7 दिनों की बिक्री मात्रा के बराबर) के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता/ऋण भी प्रदान करेगी। कार्यशील पूंजी के साथ-साथ एसबीआई एमसीएलआर (फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर) + 1% ब्याज प्रति वर्ष या 11% प्रति वर्ष, जो भी कम हो, डीलरशिप के चालू होने के 13वें महीने से शुरू होने वाली 100 मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।
- ग) प्रारंभिक कार्यशील पूंजी सहायता अधिकतम 18 केएल एमएस और 18 केएल एचएसडी के लिए दी जाएगी। एमएस और एचएसडी के लिए पात्रता की गणना अलग से की जाएगी।

हर साल 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर (1-वर्ष एमसीएलआर) के आधार पर, बकाया ऋण राशि के लिए कॉर्पस फंड ऋण की ब्याज दर को संशोधित किया जाएगा।

बिक्री में वृद्धि और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के कारण कमीशनिंग के समय प्रदान की गई प्रारंभिक कार्यशील पूंजी सहायता/ऋण का विस्तार कमीशनिंग के दो से चार वर्षों के बीच अतिरिक्त ऋण के माध्यम से किया जा सकता है। इसे केवल तभी बढ़ाया जाएगा जब मौजूदा कार्यशील पूंजी सहायता के बदले डीलरशिप द्वारा पुनर्भुगतान में कोई चूक/विलंब नहीं हुआ है और यह पिछले 6 महीनों के दौरान औसत मासिक बिक्री पर आधारित होगा। अतिरिक्त ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बिक्री में न्यूनतम 50% की वृद्धि (आरओ की अनुमानित दूसरे वर्ष की मात्रा की तुलना में) होनी चाहिए। संशोधित कार्यशील पूंजी ऋण के साथ-साथ ब्याज {एसबीआई एमसीएलआर (फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर) + 1% ब्याज प्रति वर्ष या 11% जो भी कम हो} अतिरिक्त ऋण देने की तारीख से 100 मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकता है। .

ग्रोथ वॉल्यूम पर अतिरिक्त कॉर्पस फंड ऋण अधिकतम 18 केएल एमएस और 18 केएल एचएसडी के लिए दिया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, कुल ऋण राशि होगी: -

- प्रारंभिक कॉर्पस फंड ऋण की बकाया राशि; प्लस
- वृद्धि की मात्रा के 7 दिनों की बिक्री के बराबर राशि, अधिकतम 18 केएल एमएस और 18 केएल एचएसडी के अधीन। एमएस और एचएसडी के लिए पात्रता की गणना अलग से की जाएगी।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल की शुरुआत में ब्याज दर में संशोधन (एक वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई के प्रचलित एमसीएलआर के अनुसार +1%) या 11% प्रति वर्ष, जो भी कम हो, बकाया राशि पर लागू होगा।

## 10. अयोग्यता

### क. व्यक्तिगत आवेदक :

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति यदि निम्नलिखित में से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा: -

- (i) एकाधिक डीलरशिप मानदंडों को पूरा करें: नीचे उल्लिखित एकाधिक डीलरशिप मानदंड मौजूदा और भविष्य के "ए" / "सीसी" साइट आरओ डीलरशिप के लिए लागू होंगे।

मल्टीपल डीलरशिप मानदंडों का मतलब है कि आवेदक या उसकी 'पारिवारिक इकाई' के किसी अन्य सदस्य के पास कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली "ए" / "सीसी" साइट आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या कॉर्पस फंड योजना और अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसदीय हमले लाभार्थी, आदि) के तहत, या किसी भी तेल कंपनी के लिए आशय पत्र (एलओआई) विकसित आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं होनी चाहिए

### नोट:

- क. मौजूदा "बी" / "डीसी" साइट आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर/एलपीजी वितरक {कॉर्पस फंड योजना और अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसदीय हमले लाभार्थी, आदि) के तहत विकसित वितरकों के अलावा}। और उसकी 'पारिवारिक इकाई' के सदस्यों सहित एलओआई धारक "बी" / "डीसी" साइट आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ख. ओएमसी के मौजूदा अव्यवहार्य एसकेओ डीलर (केवल व्यक्तिगत और साझेदारी फर्म) भी खंड 4 (ix) के अनुसार आरओ डीलरशिप ("ए" / "सीसी" साइट और "बी" / "डीसी" साइट आरओ दोनों के लिए) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विवाहित आवेदक के मामले में 'पारिवारिक इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसका / उसकी पति/पत्नी और अविवाहित बेटा/बेटी शामिल होंगे। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके अविवाहित भाई(भाई) और अविवाहित बहन(बहनें) शामिल होंगी। तलाकशुदा के मामले में, 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री शामिल होंगे जिनकी अभिरक्षा उसे दी गई है। विधवा/विधुर के मामले में, 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री शामिल होंगी।

इस उद्देश्य से तेल कंपनियाँ गजट अधिसूचना 2002 के अनुसार निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भी शामिल करेगी अर्थात (1) इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लि. (2) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (3) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (4) मंगलौर रिफाइनरि कार्पोरेशन लिमिटेड (5) ऑइल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (6) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (7) एसार ऑइल / नायरा एनर्जि (8) शेल कार्पोरेशन या समय समय पर भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परिभाषित अन्य कोई तेल विपणन कंपनी



इसके अलावा, यह भी होना चाहिए:

- (ii) नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।
- (iii) साबित कदाचार के कारण समाप्त की गई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए या ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं की "परिवार इकाई" का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- (iv) मानसिक रूप से अस्वस्थ/पूर्णतः पंगु न हो।
- (v) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों (जो आवेदन के समय कार्यरत हैं) की "पारिवारिक इकाई" (एकाधिक डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषा के अनुसार) के सदस्य को आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (vi) नए आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन करने के पात्र होने के लिए, आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और उनकी "पारिवारिक इकाई", जैसा कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित किया गया है, उस डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संबंधित नहीं होना चाहिए जिसे विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और 4 वर्षों (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) के भीतर विपणन अनुशासन दिशानिर्देश के तहत प्रमुख अनियमितताओं के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो। इसके अलावा, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, नियंत्रण आदेश या ईएसएमए के उल्लंघन के लिए गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के तहत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ लंबित किसी भी कार्यवाही (अदालत के मामले, कारण बताओ नोटिस इत्यादि) के मामले में, चयनित मामले में, आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन होगा।
- (vii) आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी/तथ्यों की गलत प्रस्तुति/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी ओएमसी द्वारा अस्वीकार/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं की गई है।
- (viii) एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

आवेदक को पैरा संख्या 10 A (i) से (vii) के तहत अयोग्य न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## साझेदारी फ़र्म

व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई शर्तें साझेदारी फ़र्म के प्रत्येक भागीदार पर व्यक्तिगत रूप से लागू होंगी।

## ख. गैर-व्यक्तिगत आवेदक (इकाई )

पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए इकाई यदि निम्नलिखित में से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करती है तो उसे डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा।:-

(i) एकाधिक डीलरशिप मानदंड: विभिन्न गैर-व्यक्तियों (इकाइयों ) पर एकाधिक डीलरशिप मानदंडों की प्रयोज्यता जो इस प्रकार होगी:

कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए: यदि किसी कॉर्पोरेशन के स्वामित्व का "ए" / "सीसी" साइट आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप है तो आवेदक कंपनी आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होगी या किसी भी तेल कंपनी द्वारा कॉर्पस फंड स्कीम के तहत विकसित आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या इस संदर्भ में लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआई) निम्नलिखित के पास होती है: -

- कंपनी स्वयं
- निदेशक या उसके परिवार के सदस्यों में से कोई (व्यक्तियों के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंडों के मामले में परिभाषित परिवार)।
- होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी
- कोई अन्य कंपनी या फर्म जहां आवेदक कंपनी के शेयरधारकों (एक साथ मिलाकर) की नियंत्रण हिस्सेदारी यानी 51% या अधिक है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या सोसायटी पहले से ही कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली "ए" / "सीसी" साइट आरओ / एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या कॉर्पस फंड योजना के तहत या अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसदीय आक्रमण लाभार्थी, आदि) के तहत विकसित आरओ / एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप / एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या इसी संदर्भ में किसी भी तेल कंपनी के लिए आशय पत्र (एलओआई) का धारक हैं ऐसे व्यक्ति , साझेदारी फर्म या इकाई द्वारा को अन्य आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाली कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद अधिग्रहणकर्ता की आरओ/एसकेओ/एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त की जा सकती है।

(iii) यदि कोई व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या सोसायटी जिसके पास पहले से ही आरओ / एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप / एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और वह कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली "ए" / "सीसी" साइट आरओ / एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या कॉर्पस फंड योजना के तहत या अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसदीय हमले के लाभार्थी, आदि) के तहत विकसित एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या इसी संदर्भ में किसी भी तेल कंपनी के लिए आशय पत्र (एलओआई) धारक कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी, हासिल करने के बाद अधिग्रहणकर्ता की आरओ/एसकेओ/ एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त की जा सकती है।

- (iv) संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्टों और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी / सहकारी सोसायटी अधिनियम 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के लिए:

ऐसी संस्थाएं या संस्था का शासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय या उसके परिवार के सदस्य (व्यक्तियों के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंडों के मामले में परिभाषित परिवार) यदि कॉर्पोरेशन के स्वामित्व की "ए"/"सीसी" साइट आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या कॉर्पस फंड योजना या अन्य विशेष श्रेणी (डीक्यू/ऑपरेशन विजय/संसदीय हमले के लाभार्थी, आदि) के तहत विकसित आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या या इसी संदर्भ में किसी भी तेल कंपनी के लिए आशय पत्र (एलओआई) धारक हैं आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगी।

- (v) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी की गवर्निंग/प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य को कानून के तहत दंडनीय नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- (vi) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी को कानून के तहत दंडनीय नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- (vii) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी को किसी भी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए था, जिसे कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था।
- (viii) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी की गवर्निंग/प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य या उनकी "पारिवारिक इकाई" के सदस्यों में से किसी को भी किसी भी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए था, जिसे कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया।
- (ix) नए आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए, कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत शामिल पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट / कंपनी की इकाई या गवर्निंग / प्रबंध समिति (उनकी "पारिवारिक इकाई" के सदस्यों सहित) के सदस्यों में से कोई भी ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए जिसे विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और 4 वर्षों (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) के भीतर प्रमुख अनियमितताओं के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है। इसके अलावा, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, नियंत्रण आदेश या ईएसएमए के उल्लंघन के लिए गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के तहत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ लंबित किसी भी कार्यवाही (अदालत के

मामले, कारण बताओ नोटिस इत्यादि) के मामले में, चयनित मामले में, आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन होगा।

- (x) आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी/तथ्यों की गलत प्रस्तुति/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी ओएमसी द्वारा अस्वीकार/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं की गई है।

आवेदक को पैरा संख्या 10 B (i) से (x) के तहत अयोग्य न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

### **नोट:**

ऊपर उल्लिखित शर्तें सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं, जिन्हें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाइयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख शेयरधारिता के रूप में परिभाषित किया गया है।

## **11. शपथ पत्र**

आवेदकों को **परिशिष्ट - Xअ** (व्यक्तिगत के लिए) और **परिशिष्ट - Xब** (गैर-व्यक्तिगत के लिए) के अनुसार तथ्यों की पुष्टि करते हुए मानक प्रारूप में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

### **नोट:**

1. सभी शपथ-पत्र संबंधित राज्य में लागू उचित मूल्य के स्टांप पेपर पर मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
2. सभी स्टांप पेपर अभिसाक्षी के नाम से खरीदी करने होंगे।
3. सभी शपथ पत्र विज्ञापन की तिथि के बाद बनवाने होंगे।

## **12. गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क**

आवेदन के समय देय गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित) इस प्रकार है:

### **नियमित रिटेल आउटलेट्स के लिए:**

एससी/एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	₹.3000/-
ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	₹.5000/-
अन्य लोकेशन	₹.10000/-

## ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स के लिए:

एससी/एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु.2500/-
ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशन हेतु	रु.4000/-
अन्य लोकेशन	रु.8000/-

### 13. गैर-वापसीयोग्य निर्धारित शुल्क / बोली की राशि

- (i) डीलर के स्वामित्व वाली साइट्स यानी, "बी" साइट / डीसी साइट आरओ के मामले में, जैसा कि खंड 5 में परिभाषित है, ग्रामीण आरओ के लिए 5 लाख रुपये और नियमित आरओ के लिए 15 लाख रुपये का गैर-वापसी योग्य निश्चित शुल्क (जीएसटी सहित) एनओसी प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करना होगा।
- (ii) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइट्स यानी, "ए" / "सीसी" साइट आरओ (सीएफएस के अलावा) के मामले में, जिसमें आवंटन के लिए बोली शामिल है, ग्रामीण आरओ के लिए न्यूनतम गैर-वापसीयोग्य बोली राशि (जीएसटी सहित) 10 लाख रुपये और नियमित आरओ के लिए 30 लाख रुपये लागू होंगे।

एलओआई धारक को कुल बोली राशि (एनओसी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर) का भुगतान करना होगा।

ओएमसी निर्धारित शुल्क/बोली राशि के संग्रह के बाद ही अपनी सुविधाओं की स्थापना शुरू करेंगी।

### 14. चयन प्रक्रिया

चयन मूल रूप से खंड 3 में परिभाषित रिटेल आउटलेट साइट के प्रकार के आधार पर ड्रॉ या बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसे विज्ञापन में प्रत्येक लोकेशन के सामने भी दर्शाया जाएगा।

#### क. ड्रॉ प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों के बीच ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा:

- कॉर्पस फंड योजना के अधीन कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले आउटलेट्स (सीएफएस साइट्स)
- डीलर के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित आउटलेट्स ("ब"/ "डीसी" साइट्स)

#### ख. बोली प्रक्रिया

ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड लोकेशन्स को छोड़कर, कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली डीलर संचालित साइट्स ("ए" / "सीसी" साइट्स) के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। हालाँकि, बोली राशि समान होने की स्थिति में, बराबरी के बिंदुओं के बीच ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा।

### ग. विज्ञापन:

रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी किया जाएगा।

इस संबंध में सभी विवरण जैसे रिटेल आउटलेट लोकेशन का नाम, जिला, राज्य, श्रेणी आदि वेबसाइट [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर होस्ट किए जाएंगे।

चयन के लिए दिशानिर्देश (विवरणिका) वेबसाइट [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। रिटेल आउटलेट डीलरशिप के चयन के लिए ब्रोशर ओएमसी की वेबसाइट / [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन पत्र भरने के लिए विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

### (घ) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख:

विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बताई जाएगी। आवेदन जमा करने की कटऑफ तिथि विज्ञापन में उल्लिखित होगी।

कट-ऑफ तिथि के तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा वापस ले ली जाएगी। आवेदकों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन वापस लेने और नए सिरे से आवेदन जमा करने का विकल्प होगा।

यदि आवेदक किसी भी तकनीकी कारण से नियत तिथि पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में विफल रहता है तो ओएमसी जिम्मेदार नहीं होगा और बाद में आवेदन जमा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

### (ङ) आवेदन:

आवेदन केवल निर्धारित वेब पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जाने हैं।

आवेदन करने के इच्छुक सभी आवेदकों के पास वैध पैन होना चाहिए और उन्हें अपना आवेदन वेब पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर जाकर करना होगा उस पर पंजीकरण करने के बाद और अपेक्षित आवेदन शुल्क (इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से या एसबीआई ई-पे द्वारा प्रदान किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ) के साथ अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर पंजीकरण करना होगा। आवेदक के लिए एक बार बनाई गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग वेब पोर्टल में ऑनलाइन

आवेदन भरने के लिए किया जाएगा। वेब पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर सफल पंजीकरण की पावती पोर्टल द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। चूंकि सभी संचार केवल पंजीकरण के दौरान आवेदक द्वारा उपयोग की जाने वाली ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सही मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी का उल्लेख करना और एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से ओएमसी द्वारा भेजी गई जानकारी की नियमित जांच करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से ओएमसी द्वारा भेजी गई जानकारी को जांचने/पढ़ने में आवेदक की विफलता के लिए किसी भी समयसीमा के विस्तार के लिए आवेदकों के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संचार सर्वर के किसी भी तकनीकी खराबी के कारण एसएमएस/ई-मेल की डिलीवरी में विफलता के लिए भी ओएमसी जिम्मेदार नहीं होगी।

पंजीयन करते समय भावी आवेदक ध्यान दे की पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर विवरण सजगता/सावधानी पूर्वक भरे, क्योंकि ये विवरण आवेदन फार्म में संबंधित फील्ड द्वारा स्वतः पिकअप किए जाएंगे और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आगे सम्पादन की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

एक आवेदक एक लोकेशन के लिए केवल एक ही आवेदन जमा कर सकता है।

रिटेल आउटलेट डीलरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रारूप परिशिष्ट - IA (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) और परिशिष्ट - IB(गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) के रूप में संलग्न है।

ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल परिशिष्ट - IC के रूप में संलग्न है।

आवेदन की स्थिति पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर पंजीकरण करते समय आवेदक द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित की जाएगी।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर पात्र आवेदकों को पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी / स्थिति एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित की जाएगी या पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर देखी जा सकती है:

- i. आवेदक द्वारा पंजीकरण की पावती जिसमें आवेदक का नाम, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्शाया गया हो।
- ii. प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्राप्ति की पावती।
- iii. गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क रसीद।
- iv. प्राथमिकता गुप-1, गुप-2 और गुप-3 के अनुसार लोकेशन के लिए उम्मीदवारों की सूची पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर उपलब्ध होगी।

- v. लॉटरी निकालने/बोली खोलने की तारीख, लोकेशन और समय की सूचना।
- vi. ड्रॉ/बोली/सीधे चयन में प्रावधानिक चयन के संबंध में आवेदक को सूचना।
- vii. चयनित उम्मीदवार को ऑन लाइन पोर्टल द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ (भूमि मूल्यांकन एवं एफवीसी आयोजित करने हेतु) प्रस्तुत करने एवं सूचना दिनांक से 10 दिन के अंदर आईएसडी (प्रारम्भिक सुरक्षा जमा-आईएसडी) की 10% राशि जमा करने की सूचना दी जाएगी।
- viii. यदि प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार 10 दिनों की नोटिस अवधि के भीतर दस्तावेज़ अपलोड नहीं करता है और/या सुरक्षा जमा (प्रारंभिक सुरक्षा जमा) का 10% जमा नहीं करता है, तो अन्य 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ एक ऑटो जेनरेटेड रिमाइंडर भेजा जाएगा यदि आवश्यक दस्तावेज़ और/या आईएसडी अपलोड/प्रेषित नहीं किए गए तो उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। यदि अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार अतिरिक्त 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करने और/या सुरक्षा जमा (प्रारंभिक सुरक्षा जमा) का 10% जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी सूचना के तहत खारिज कर दी जाएगी।
- ix. पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा जमा राशि (प्रारंभिक सुरक्षा जमा) का 10% और दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद ही दस्तावेज़ की जांच की जाएगी।
- x. प्रस्तुत दस्तावेज़ में सुधार योग्य कमी के मामले में, प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को 21 दिनों के भीतर आवश्यक संशोधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- xi. यदि संशोधित दस्तावेज़ निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं या जमा किए गए संशोधित दस्तावेज़ आवश्यकता के अनुसार नहीं हैं, तो उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचना अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को भेजी जाएगी। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विज्ञापित लोकेशन्स के लिए यदि प्रस्तावित भूमि से संबंधित संशोधित दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं, तो आवेदक को ग्रुप - 3 आवेदकों के साथ उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के बारे में सूचना दी जाएगी, बशर्ते अन्य सभी कमियों को ठीक कर लिया गया हो और आवेदक की उम्मीदवारी मूल रूप से ग्रुप-3 में नहीं थी या उसे पहले ग्रुप-3 में स्थानांतरित नहीं किया गया था।
- xii. भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी) के दौरे की तारीख और समय के बारे में उम्मीदवार को 10 दिन का समय की सूचना देना ।
- xiii. यदि भूमि एलईसी द्वारा उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो प्रस्तावित भूमि को अस्वीकार करने के संबंध में उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा। हालाँकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए आवेदक के साथ-साथ ग्रुप-3 के आवेदकों पर बाद में विचार किए जाने की सूचना भेजी



जाएगी, बशर्ते कि आवेदक की उम्मीदवारी मूल रूप से ग्रुप-3 में नहीं थी या उसे पहले ग्रुप-3 में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

- xiv. यदि भूमि उपयुक्त पाई जाती है, तो उम्मीदवार को 10 दिन का समय देते हुए एफवीसी की तारीख और समय के बारे में सूचना।
- xv. एफवीसी चरण में अस्वीकृति के मामले में, उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचित करना।
- xvi. यदि एफवीसी ठीक पाया जाता है, तो प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने और ओएमसी के संबंधित कार्यालय से इसे प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय देते हुए सूचित किया जाएगा।

### (च) विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति

जबकि एक उम्मीदवार द्वारा आवेदन विभिन्न स्थानों के लिए किया जा सकता है, उसे प्रत्येक मामले में लागू आवेदन शुल्क के साथ प्रत्येक लोकेशन के संबंध में अलग से आवेदन करना होगा।

### (छ) वित्तीय बोली प्रस्तुत करना

बोली प्रक्रिया में शामिल स्थानों के मामले में, आवेदक को आवेदन करते समय वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी।

### (ज) ड्रा/बोली के माध्यम से चयन

- क. जहां तक संभव हो सभी ऑनलाइन ड्रा/बोली खोलना जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में या किसी सार्वजनिक हॉल/होटल/ओएमसी के कार्यालयों में आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।
- ख. सभी पंजीकृत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर देख सकते हैं। ड्रा/बोली के लिए पात्र आवेदकों (आवेदन में दी गई भूमि के आधार पर ग्रुप-1 और ग्रुप-2) की सूची उसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग. ड्रा के माध्यम से चयन वाले स्थानों के मामले में, यदि केवल एक योग्य आवेदक है, तो ड्रा की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र पात्र आवेदक को प्रावधानिक रूप से चयनित घोषित किया जाएगा और एकल पात्र आवेदक की ई-मेल आईडी पर चयन की सूचना के लिए ई-मेल भेजा जाएगा।
- घ. बोली के माध्यम से चयन वाले स्थानों के मामले में, यदि केवल एक पात्र आवेदक है, तो अकेले पात्र आवेदक की बोली एकाधिक आवेदक स्थानों की प्रक्रिया के अनुरूप खोली जाएगी और उसे प्रावधानिक रूप से चयनित

घोषित किया जाएगा और ई-मेल भेजा जाएगा। चयन की सूचना एकल पात्र आवेदक की ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

- ड. ड्राँ/बीड ओपनिंग पहले ग्रुप-1 के पात्र आवेदकों के लिए आयोजित की जाएगी। ग्रुप-2 के पात्र आवेदकों के लिए ड्राँ/बीड ओपनिंग तभी आयोजित की जाएगी यदि ग्रुप-1 में कोई आवेदक नहीं है या ग्रुप-1 में आवेदक अयोग्य हो गए हैं/ उपयुक्त नहीं पाए गए हैं या एलओआइ विड्रॉ कर लिया है।
- च. यदि किसी विज्ञापित लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो रिटेल आउटलेट का चयन कम्प्यूटरीकृत ड्राँ/बोली ओपनिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- छ. यदि किसी विशेष लोकेशन के लिए लॉटरी निकाली गई है और प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो ग्रुप - 1 या ग्रुप - 2 के शेष पात्र उम्मीदवारों में से, जैसा लागू हो, पुनः ड्रा निकाला जाएगा। यदि किसी विशेष लोकेशन के लिए बोली प्रक्रिया की गई है और अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो उस स्थिति में अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को अनंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा।

## **अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार के आवेदन की अंतिम प्रक्रिया और प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा एफवीसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज**

प्रत्येक लोकेशन के लिए ड्राँ/बोली प्रक्रिया में प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि वे ऑन-लाइन पोर्टल/लिंक के माध्यम से प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी) जमा करें और 10 दिनों के भीतर अपेक्षित दस्तावेज भी जमा करें। यदि आईएसडी का भुगतान नहीं किया गया है और/या अपेक्षित दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, तो आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और ऑन-लाइन पोर्टल/लिंक के माध्यम से प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी) जमा करने के लिए आतिरिक्त 10 दिन का समय दिया जाएगा। आईएसडी का भुगतान न करने और/या विस्तारित समयसीमा के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में, एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से प्रावधानिक रूप से चयनित उम्मीदवार को सूचित करके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

लोकेशन की श्रेणी के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित आवेदक द्वारा अपलोड/जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।

### **1. सभी श्रेणी के लिए लागू दस्तावेज:**

- क. आवेदक द्वारा परिशिष्ट-X A/X B (मानक शपथ पत्र) के अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र।
- ख. आयु का प्रमाण (जन्मतिथि) यानी - 10वीं कक्षा की स्वप्रमाणित प्रति। बोर्ड प्रमाणपत्र / सेकन्डरी स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / पासपोर्ट / चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र / पैन कार्ड / आधार कार्ड। \*

- ग. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण अर्थात् परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड/स्कूल या समकक्ष द्वारा जारी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- घ. परिशिष्ट - III (भूमि की पेशकश के लिए सहमति) यदि लागू हो।
- ङ. स्वामित्व/लीज़ अधिकार के समर्थन में भूमि दस्तावेजों की प्रति।
- च. आयाम सहित प्रस्तावित भूमि का स्केच/साइट मानचित्र।

**\* गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू नहीं**

2. विशिष्ट पात्रता मानदंड के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज़:

श्रेणी	पात्रता प्रमाणपत्र फॉर्मेट
अजा/अजजा	परिशिष्ट - VI
अजा/अजजासीसी1	परिशिष्ट - VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र /डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर, जैसा लागू हो
अजा/अजजापीएच	परिशिष्ट - VI, IX ए / IX बी / IXसी
अपिव	परिशिष्ट - VII ए एवं VII-बी
अपिव सीसी1	परिशिष्ट - VII ए, VII-बी, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र /डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर, जैसा लागू हो
अपिव पीएच	परिशिष्ट - VII ए एवं VII बी, IX ए / IX बी / IX सी
ओपन सीसी1	परिशिष्ट VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र /डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर, जैसा लागू हो
ओपन सीसी2	ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए)
ओपन पीएच	परिशिष्ट - IX ए / IX बी / IXसी
भागीदार आवेदक	ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड (साझेदारी के तहत आवेदकों के लिए)
अव्यक्तिगत आवेदक	सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति / इकाई के निगमन प्रमाण पत्र की प्रति।
अव्यक्तिगत आवेदक	केवल पंजीकृत सोसायटी/कंपनियों के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित लाभ और हानि खाता विवरण की सत्यापित प्रतियां। <b>हालाँकि, यह पीएसीएस के लिए लागू नहीं होगा</b>
अव्यक्तिगत आवेदक	आवेदन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करने वाला प्राधिकरण पत्र और संकल्प की प्रति
एसकेओ डीलर्स	आवंटन प्राधिकारियों से 75 केएलपीएम से कम आवंटन का प्रमाण। वैध डीलरशिप अनुबंध की प्रति

## अ) भूमि मूल्यांकन:

संबंधित मंडल/क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय साइट मूल्यांकन के लिए एलईसी द्वारा यात्रा के दिन से कम से कम 10 दिन पहले अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा। अनंतिम रूप से चयनित आवेदक की कोई प्रतिक्रिया/अनुपलब्धता की स्थिति में, अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(i) प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि भूमि विज्ञापित क्षेत्र में है और आरओ-मानदंडों के अनुसार वाले रिटेल आउटलेट के विकास के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के लिए भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा जिन मापदंडों के तहत मूल्यांकन किया जाएगा वे हैं: -

- विज्ञापन की तिथि पर भूमि विज्ञापित क्षेत्र/दायरे के अंतर्गत आती है
- सड़क की राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) लाइन छोड़ने के बाद भूमि का आकार आवश्यकता को पूरा करता है।
- भूमि एनएचआई मानदंडों को पूरा करती है (एनएच पर साइट्स के लिए)
- भूमि पर कोई एचटी लाइन (>11 केवी) क्रॉसिंग नहीं है

उपरोक्त किसी भी पैरामीटर को पूरा नहीं करने वाली भूमि पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### नोट:

प्रस्तावित भूमि निम्नलिखित सभी को पूरा करना चाहिए: -

1. विज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम अग्रभाग।
2. विज्ञापन में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र.
3. आरओडब्ल्यू लाइन छोड़ने के बाद कम से कम एक लोकेशन पर फ्रंटेज पर लंबवत न्यूनतम गहराई (जैसा कि विज्ञापन में निर्दिष्ट है)।

यदि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त पाई जाती है, तो एलईसी अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार की एफवीसी करने के लिए मंडल/क्षेत्रीय/प्रदेश प्रमुख को सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

यदि भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को उसकी अपात्रता और उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। शेष आवेदकों के साथ चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। हालाँकि, अजा/अजजाश्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए उम्मीदवार को ग्रुप 3 के आवेदकों के साथ चयन के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते आवेदक की उम्मीदवारी मूल रूप से ग्रुप - 3 में नहीं थी या उसे पहले ग्रुप - 3 में स्थानांतरित नहीं किया गया था और सूचना भेज दी जाएगी।

## 15. प्रत्यय पत्र का फ़ील्ड सत्यापन (एफवीसी)

आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के संबंध में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार के लिए प्रत्यय पत्र का फ़ील्ड सत्यापन (एफवीसी) किया जाएगा। एफवीसी का उद्देश्य उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दिए गए विवरण और उसके बाद जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता को सत्यापित करना है। फ़ील्ड सत्यापन के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन रद्द किया जा सकता है।

एफवीसी के संबंध में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को 10 दिन पहले एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचना दी जाएगी। तिथि में परिवर्तन/विस्तार के किसी भी अनुरोध के मामले में अगली तिथि आपसी सहमति से दी जाएगी। हालाँकि, पुनर्निर्धारित तिथि मूल रूप से प्रस्तावित एफवीसी तिथि से 10 दिन से अधिक नहीं हो सकती।

संशोधित निर्धारित तिथि पर अंतिम रूप से चयनित आवेदक की कोई प्रतिक्रिया ना देने /अनुपलब्धता की स्थिति में, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करते हुए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवार को एफवीसी के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो सत्यापन के लिए अंतिम चयन के बाद अपलोड किए गए थे।

मूल शपथ पत्र, जिनकी प्रतियां अपलोड की गई थीं, उन्हें उम्मीदवार द्वारा एफवीसी समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

## 16. आशय पत्र (एलओआई)

यदि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी सही पाई जाती है, और चयन संबंधी कोई शिकायत/न्यायालयीय मामला निर्णय हेतु लंबित नहीं है, तो अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को आशय पत्र जारी किया जाएगा।

चयनित डीलर को, आशयपत्र प्राप्त होने के बाद, शपथपत्र के खंड 12 (ड) (परिशिष्ट X ए ) या शपथपत्र के खंड 11 (ड) (परिशिष्ट X बी ) के अनुसार प्रस्तावित भूमि विकसित कर उपलब्ध करानी होगी और एलओआई में उल्लिखित अपेक्षित शर्तें पूर्ण करनी होगी। ग्रुप 1 कैटेगरी के अंतर्गत चयनित डीलर को भूमि उपलब्ध करने के लिए 2 माह दिये जायेंगे और ग्रुप 2 कैटेगरी को 4 माह दिये जायेंगे। ऐसा न करने पर ओएमसी एलओआई वापस ले सकता है और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

एफवीसी के बाद एलओआई जारी किया जायेगा किंतु ड्राँ/बिडिंग प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के पहले जारी नहीं होगा।

चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के समय फिर एक बार परिशिष्ट X ए या X बी (यथा लागू) के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

### **एलओआई वापस लेना**

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर भूमि प्रदान करने/सुविधाओं का विकास करने में असमर्थ है या एलओआई की शर्तें पूर्ण नहीं करता है, तो एलओआई वापस लिया जा सकता है। एलओआई धारक को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा तथा उनके उत्तर के आधार पर, संबन्धित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) की आंतरिक नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एलओआई वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में आईडीपी राशि जब्त कर ली जाएगी।

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर कुल बिडिंग राशि/तय शुल्क जमा करने में असमर्थ है या वह किसी कारणवश अपना नाम वापस लेता है तो आईडीपी की राशि, जहाँ लागू हो, भी जब्त होगी, उसका चयन निरस्त माना जायेगा तथा एलओआई वापस लिया जायेगा।

## **17. उम्मीदवारी के निरस्तीकरण / एलओआई के वापस लेने के बाद की चयन प्रक्रिया**

ड्रॉ निकालने के बाद किसी विसंगति के कारण चयनित आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है अर्थात् आवेदन जांच/ भूमि मूल्यांकन / एफवीसी या एलओआई वापस ले ली जाती है तो शेष पात्र उम्मीदवारों में से चयन के लिए ड्रॉ फिर आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार बिडिंग प्रक्रिया से चयनित की उम्मीदवारी निरस्त होने क दशा में अगला उच्चतम बिडर के चयन पर विचार किया जाएगा।

ऐसे स्थानों पर जहाँ ड्रॉ निकाला जाना है, शेष बचे आवेदकों को ईमेल / एसएमएस से सूचित किया जाएगा। यदि केवल 1 शेष आवेदक है तो उसे चयन और दस्तावेज प्रस्तुति/ प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि के बारे में सूचित किया जाएगा।

ऐसे स्थानों पर जहाँ बिडिंग होनी है, दूसरे उच्चतम बिडर को ईमेल / एसएमएस के जरिये उसके चयन और दस्तावेज प्रस्तुति / प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि के बारे में सूचित किया जाएगा। बाद के बिडर/ बिडर्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी यदि दूसरे उच्चतम बिडर का कोई प्रतिसाद नहीं है / वापसी/निरस्तीकरण है।

## **18. शिकायत निवारण पद्धति**

किसी भी शिकायत के साथ, तेल कंपनी के पक्ष में, शेड्यूल्ड बैंक का रु. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क के बिना प्राप्त शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन के विरुद्ध शिकायत, पात्रता सहित, का निपटारा निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया से पूर्व या बाद में आपेक्षित शुल्क रु.5000/- सहित प्राप्त शिकायतें रिकार्ड में रखी जायेगी और केवल निम्नलिखित मामलों में ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया के 30 दिन बाद जाँच की जायेगी :-

- सत्यापनीय तथ्यों के साथ सामान्य शिकायतें
- चयनित उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतें\*

\* चयनित उम्मीदवार का अर्थ वह उम्मीदवार है जिसने क्रेडेंशियल्स का फ़ील्ड सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और एलओआई जारी करने के लिए पात्र है।

(ii) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया की तिथि से 30 दिनों के बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) सत्यापनीय तथ्यों के बिना नाम रहित शिकायतों की जाँच नहीं की जायेगी।

(iv) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को ऑडल कंपनी का पत्र प्रेषण दिनांक से 20 दिन के अंदर प्रथम दृष्ट्या सिद्ध करने हेतु संबद्ध दस्तावेज यदि कोई है सहित आरोप का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। दस्तावेजी एवं विवरणों की माँग करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा कि यदि जाँच के दौरान शिकायत गलत और / या सारहीन पायी गई तो कॉर्पोरेशन को कानून के तहत शिकायतकर्ता पर कार्रवाई करने का और शुल्क जब्त करने का अधिकार है।

(v) यदि ऐसे आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई जिसका ड्रॉ बिडिंग प्रक्रिया के दौरान चयन नहीं हुआ है तो ऐसी शिकायत को स्थगित रखा जायेगा। यदि चयनित उम्मीदवार का एलओआई निरस्त हो गया हो और जिस आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई हो उसका चयन अगले ड्रॉ या बिडिंग प्रक्रिया में हुआ तो ही शिकायत की जाँच की जायेगी।

(vi) यदि शिकायत की जाँच करना आवश्यक नहीं है तो शिकायतकर्ता को प्राप्त शुल्क लौटाया जायेगा और सूचित किया जायेगा कि शिकायत पर जाँच नहीं हुई है क्योंकि जिस उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत हुई है उसका चयन नहीं हुआ है। चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के बाद शुल्क लौटाया जायेगा।

(vii) यदि शिकायत बिना अपेक्षित शुल्क रु.5000/- के प्राप्त हुई है या परिणाम घोषित होने के 30 दिन के बाद प्राप्त होती है तो शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा और शिकायतकर्ता को तदनु रूप कारणों सहित सूचित किया जाएगा।

(viii) कॉर्पोरेशन द्वारा शिकायतकर्ता के प्रतिसाद की जांच की जायेगी और यदि शिकायत और आरोप यदि उचित तथा सत्यापन योग्य जानकारी के बिना है तो शिकायत को फाइल कर शुल्क जब्त किया जायेगा। शिकायतकर्ता को तदनुरूप सूचित किया जाएगा।

(ix) यदि शिकायत की जाँच करने का निर्णय लिया गया तो शिकायत पर निम्नानुसार निर्णय लेकर शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा:-

**क) शिकायत सिद्ध न होने पर:**

यदि शिकायत सिद्ध न हुई हो तो उसे फाइल किया जायेगा और शिकायत शुल्क जब्त किया जायेगा। शिकायतकर्ता को तदनुरूप सूचित किया जाएगा।

**ख) शिकायत सिद्ध होने पर:**

यदि शिकायत सिद्ध हुई हो तो शिकायतकर्ता को तदनुरूप सूचित किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जायेगी। ऐसे मामले में प्राप्त शिकायत शुल्क रु.5000/- लौटाया जायेगा।

(x) सभी मामलों में शिकायतों का निपटान सकारण आदेश के रूप में होगा।

## **19. डीलरशिप कमीशनिंग**

जिस उम्मीदवार को 'आशयपत्र' दिया गया है उसे उसमें दी गई निबन्धन एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा, ताकि निर्धारित समयावधि में डीलरशिप की स्थापना की जा सकें। यदि निर्धारित समय अनुरूप प्रगति नहीं पायी जाती है और उसके लिए न्यायोचित कारण न हो तो एलओआई वापस लिया जा सकता है।

स्थापना से पूर्व, डीलरशिप समझौते की निष्पादित प्रति के साथ नियुक्ति पत्र (एलओए) दिया जाएगा.

एलओआई जारी करने के समय परिशिष्ट XA या XB (यथा लागू) के अनुसार, आवेदक से फिर से शपथपत्र लेना होगा।

## **20. सुरक्षा जमा (एसडी) / प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी)**

एलओआई धारक को निम्नानुसार राशि जमा करनी होगी: -

- एलओए जारी करने से पहले नीचे लिखे अनुसार ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि



## सामान्य रिटेल आउटलेट्स

ओपन श्रेणी - रु. 5 लाख

अपिव श्रेणी - रु. 4 लाख

एससी/ एसटी श्रेणी - रु. 3 लाख

## ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स

ओपन श्रेणी - रु. 4 लाख

अपिव श्रेणी - रु. 3 लाख

एससी/ एसटी श्रेणी - रु. 2 लाख

तेल विपणन कंपनी के पास इस्तीफे/समाप्ति के समय इस राशि से किसी भी बकाया राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। हालाँकि, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के तहत सिद्ध मिलावट/कदाचार के कारण डीलरशिप समाप्त होने की स्थिति में, उक्त सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

- ऊपर उल्लिखित लागू सुरक्षा जमा राशि का 10% प्रावधिकरूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी) के रूप में ड्रा/बोली खुलने के 10 दिनों के भीतर देय है। यह राशि कुल सुरक्षा जमा राशि के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

निम्नलिखित मामलों में आईएसडी (सुरक्षा जमा का 10%) जब्त कर लिया जाएगा: -

- जहां प्रावधिकरूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज / संशोधित दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है।
- प्रावधिकरूप से चयनित उम्मीदवार भूमि की अस्वीकृति को छोड़कर किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य पाया जाता है।
- जहां एलओआई धारक निर्धारित समय के भीतर कुल बोली राशि/निर्धारित शुल्क जमा करने में असमर्थ है।
- जहां प्रावधिकरूप से चयनित उम्मीदवार/एलओआई धारक किसी भी कारण से उम्मीदवारी वापस ले लेता है।
- जहां एलओआई शर्तों का पालन न करने पर एलओआई रद्द कर दी जाती है और किसी भी कारण से चयन रद्द कर दिया जाता है।

## 21. डीलरशिप की अवधि

जैसा कि तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित किया गया है, डीलरशिप का कार्यकाल प्रारंभिक xx वर्षों (संबंधित तेल कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार) के लिए होगा और उसके बाद हर xx वर्षों में नवीकरणीय होगा (जैसा कि संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा तय किया गया है)।

## 22. गलत जानकारी

उम्मीदवार द्वारा आवेदन में या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में या आवेदन के अनुसरण बाद में दिये गए दस्तावेजों में दी गई जानकारी, यदि किसी भी चरण में छिपायी/तोड़-मरोड़कर असत्य या गलत पायी गई, तो कोई भी कारण दिये बिना आवेदन को निरस्त किया जा सकता है और यदि आवेदक को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया हो तो डीलरशिप को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार / डीलर संबंधित तेल कंपनी के खिलाफ, जो भी हो, कोई दावा नहीं करेगा।

## 23. अनुप्रयोगों (आवेदन पत्र) में सुधार न की जा सकने वाली कमियों की सूची

रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित कमियाँ सुधार योग्य नहीं हैं और ऐसे आवेदनों पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- क) संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) के तहत आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर, आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 21 पूर्ण वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक है।
- ख) आवेदक उस श्रेणी से संबंधित नहीं है जिसके लिए विषय डीलरशिप आरक्षित है।
- ग) संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) के तहत आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर आवेदक के पास आवेदन की तिथि पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
- घ) आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है।
- ङ) आईटी नियम<sup>1</sup> के अनुसार आवेदक भारत का निवासी नहीं है। (यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा, तो उसे उसकी नागरिकता की परवाह किए बिना आयकर नियमों के अनुसार भारत का निवासी माना जाता है। यदि प्रवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी है।)
- च) एक ही लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदनों में एक ही भूमि की पेशकश की गई, ऐसे सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
- छ) आवेदक द्वारा आवेदन में घोषित भूमि का गुण।
- ज) आवेदक ब्रोशर के "अयोग्यता" खंड के तहत परिभाषित आईओसी / बीपीसी / एचपीसी कर्मचारियों की "परिवार इकाई" का सदस्य है।
- झ) प्रारंभिक सुरक्षा राशि जमा निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गई।
- ञ) ओएमसी के कहने पर निर्धारित समय के भीतर जांच के लिए दस्तावेज जमा नहीं किए गए।
- ट) निर्धारित समय (21 दिन) के भीतर सुधार योग्य कमी को ठीक नहीं किया गया।
- ठ) एफवीसी के समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों का प्रस्तुत न होना।
- ड) मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी में बदलाव
- ढ) पैन नंबर बेमेल/गलत पैन नंबर/पैन नंबर आवेदक का नहीं है।
- ण) आवेदक पात्रता मानदंड के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका
- त) प्रस्तावित भूमि के खसरा/खतौनी/खात/सर्वे नंबर आदि में परिवर्तन।

- थ) प्रस्तावित भूमि विज्ञापित लोकेशन/विस्तार में नहीं है और/या डीलर चयन दिशानिर्देशों/वैधानिक मानदंडों आदि को पूरा नहीं करती है।
- द) सीसी के लिए आवेदन - "ए साइट" (नॉन-कॉर्पस फंड) डीलरशिप जिनकी बोली राशि लागू न्यूनतम बोली राशि से कम है।
- ध) शपथ पत्र परिशिष्ट-III आवेदन की तिथि के बाद की तिथि का है।

आवेदन पत्र पर फोटो लगाने और हस्ताक्षर करने के अलावा आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन/जोड़ने/हटाने की अनुमति नहीं होगी। संशोधित या अतिरिक्त दस्तावेज़ केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे यदि वे आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित हों।

### वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी

कॉर्पोरेशन जिन लोकेशनों में डीलर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है, उन लोकेशन्स से संबंधित निम्नलिखित विवरण विज्ञापन में प्रदान किया जाएगा।

क्र. सं.	लोकेशन का नाम	राजस्व जिला	रिटेल आउटलेट का प्रकार	अनुमानित मासिक बिक्री #	केटगरी	साइट का प्रकार*	न्यूनतम क्षेत्र (मीटर में)/ साइट का एरिया (वर्ग मीटर में) *			आवेदक द्वारा वित्त प्रबंध		चयन की प्रणाली	निर्धारित शुल्क/ न्यूनतम (बिड) राशि	सुरक्षा जमा राशि
							8	9a	9b	10	11			
			सामान्य / ग्रामीण	एमएस+ (एच एसडी) केएल में	एससी एससी सीसी-1 एससी पीएच एसटी एसटी सीसी-1 एसटी पीएच अपिव अपिव सीसी-1 अपिव पीएच ओपन ओपन सीसी-1 ओपन सीसी-2 ओपन पीएच	सीसी/ डीसी/ सीएफ एस	अग्र स्थल	गहरा ई	क्षेत्र	रिटेल आउटलेट के संचालन के लिए अनुमानित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता	रिटेल आउटलेट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक अनुमानित निधि	ड्रॉ निकालना/ विडींग		

# दर्शाई गई मातृ बाजार की स्थितियों पर आधारित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्र की क्षमता का आकलन स्वयं करें।

\* साइट या तो स्वामित्व में होनी चाहिए या आवेदक के पास कम से कम 19 साल 11 महीने के लिए लीज़ पर होनी चाहिए या आवेदक के पास इसके लिए पक्का प्रस्ताव होना चाहिए।

तालिका में कॉलमों की व्याख्या इस प्रकार है:-

#### **कॉलम 4**

**सामान्य रिटेल आउटलेट्स:** राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) / राज्य राजमार्ग (एसएच) आदि) और शहरी / अर्ध शहरी क्षेत्रों (किसी शहर / कस्बे की नगरपालिका सीमा के भीतर) लोकेशन

**ग्रामीण रिटेल आउटलेट्स:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेशन, लेकिन राजमार्गों (एनएच/एसएच आदि) पर नहीं और किसी शहर/कस्बे की नगरपालिका सीमा के बाहर

#### **कॉलम 6**

अजा/अजजा (एस सी / एस टी)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी
अजा/अजजा (एस सी / एस टी) सीसी-1	संयुक्त श्रेणी 1 में रक्षा कर्मी / अर्धसैनिक कर्मी / केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी / केंद्र और राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी जो एस / एस टी कैटेगरी के हैं
अजा/अजजा- (एस सी / एस टी) पीएच	अजा/ अजजा (एस सी / एस टी) वर्ग से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच)।
अपिव	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
अपिव सीसी-1	संयुक्त श्रेणी 1 में रक्षा कर्मी / अर्धसैनिक कर्मी / केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी / केंद्र और राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी जो अपिव कैटेगरी के हैं
अपिव- पीएच	अपिव श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच)।
ओपन	ओपन श्रेणी
ओपन सीसी-1	संयुक्त श्रेणी 1 में ओपन श्रेणी के रक्षा कर्मी / अर्धसैनिक कर्मी / केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी / केंद्र और राज्य सरकार पीएसयू कर्मचारी शामिल हैं।
ओपन सीसी-2	संयुक्त श्रेणी 2 में उत्कृष्ट खिलाड़ी व्यक्ति (ओएसपी), स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) शामिल हैं।
ओपन-पीएच	शारीरिक रूप से विकलांग

#### **कॉलम 7**

**सीसी/सीएफएस:** ऑयल कंपनी को उम्मीद है कि आवेदक के पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि होगी/उसकी व्यवस्था होगी और वह उसे विक्री/लंबी लीज पर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराएगी।

**डीसी** : ऑयल कंपनी को उम्मीद है कि आवेदक के पास रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि होगी/व्यवस्था होगी। आवेदक को कॉर्पोरेशन को जमीन बेचने/पट्टे पर देने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदक अपनी लागत पर डीलरशिप के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे/अन्य निश्चित सुविधाएं प्रदान करेगा।

## **कॉलम 10**

डीलरशिप के लिए चयन प्रत्येक लोकेशन के सामने उल्लिखित ड्रा/बोली प्रक्रिया के आधार पर योग्य उम्मीदवारों में से होगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन के मामले में, आवेदन के साथ उच्चतम बोली जमा करने वाले पात्र आवेदक को डीलरशिप के लिए चुना जाएगा।

### **1. विज्ञापन से संबंधित सामान्य शर्तें**

- i. आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने से पहले "विवरणिका" को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
- ii. लोकेशन की श्रेणी के संबंध में लागू और तेल कंपनी द्वारा निर्देश के अनुसार दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- iii. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति "ओपन" श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता है। 'ओपन' श्रेणी के तहत विज्ञापित लोकेशनों को छोड़कर, अन्य श्रेणियों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र तेल कंपनी द्वारा निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- iv. विवाहित आवेदक के मामले में 'पारिवारिक इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसके पति/पत्नी और उनके अविवाहित बेटे/बेटियाँ शामिल होंगी। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके अविवाहित भाई(भाई) और अविवाहित बहन(बहनें) शामिल होंगी। तलाकशुदा के मामले में, 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री शामिल होंगे जिनकी अभिरक्षा उसे दी गई है। विधवा/विधुर के मामले में, इस संपूर्ण आवेदन के प्रयोजन के लिए 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
- v. सभी शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए और विज्ञापन की तारीख के बाद की तारीख के होने चाहिए। स्टाम्प पेपर संबंधित राज्य में लागू उचित मूल्य का होना चाहिए और अभिसाक्षी के नाम पर खरीदा जाना चाहिए। शपथ पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। अन्य सभी दस्तावेजों के लिए केवल स्व-सत्यापित प्रतियाँ ही तेल कंपनी द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपलोड/जमा की जानी चाहिए। मूल प्रतियाँ फ़ील्ड सत्यापन के समय उपलब्ध करायी जानी चाहिए। फ़ील्ड सत्यापन के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन रद्द किया जा सकता है।
- vi. आवेदकों को आवेदन की विभिन्न मदों के संबंध में केवल वही जानकारी प्रदान करनी चाहिए जिसके लिए आवेदन की तिथि तक उनके पास मूल रूप से सहायक दस्तावेज हैं। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा।
- vii. यह पूरी तरह से एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यावसायिक जोखिम हैं और यह किसी भी सुनिश्चित रिटर्न या मुनाफे की गारंटी नहीं देता है।

- viii. चयन पर आवेदक को तेल कंपनी की संतुष्टि के लिए डीलरशिप को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए।
- ix. यह केवल एक एप्लीकेशन है, आरओ डीलरशिप का ऑफर नहीं।
- x. डीलरशिप के लिए चयनित आवेदक को तेल कंपनी की शर्तों के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी करते समय डीलरशिप अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- xi. कृपया ध्यान दें कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों का खुलासा तेल कंपनी द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत तीसरे पक्ष को किया जा सकता है।
- xii. चयन से संबंधित कोई भी आपत्ति/शिकायत उस लोकेशन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा के भीतर (5000) रुपये के शुल्क के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xiii. स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी अखबार में दिए गए निर्देश/सूचना मान्य होंगे।
- xiv. कंपनी बिना कोई कारण बताए से इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने या नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन (व्यक्तिगत आवेदक के लिए प्रारूप)																																		
(फॉर्म बड़े अक्षरों में भरना होगा)																																		
आवेदन संख्या. ---->																																		
	आवेदन तिथि										D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y														
तेल कंपनी का नाम: (आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)																																		
प्रभागीय/क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय का नाम:																																		
आवेदन शुल्क का विवरण (रु.)														नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ																				
लेन-देन संख्या																																		
लेन-देन की तारीख और समय																																		
भुगतान मोड																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">आरओ का प्रकार</th> <th style="width: 30%;">श्रेणी</th> <th style="width: 40%;">आवेदन शुल्क रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य</td> <td>अजा./अजजा.</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>सामान्य</td> <td>अपिव.</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>सामान्य</td> <td>ओपन</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>ग्रामीण</td> <td>अजा./अजजा.</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>ग्रामीण</td> <td>अपिव.</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>ग्रामीण</td> <td>ओपन</td> <td>8000</td> </tr> </tbody> </table>														आरओ का प्रकार	श्रेणी	आवेदन शुल्क रु.	सामान्य	अजा./अजजा.	3000	सामान्य	अपिव.	5000	सामान्य	ओपन	10000	ग्रामीण	अजा./अजजा.	2500	ग्रामीण	अपिव.	4000	ग्रामीण	ओपन	8000
आरओ का प्रकार	श्रेणी	आवेदन शुल्क रु.																																
सामान्य	अजा./अजजा.	3000																																
सामान्य	अपिव.	5000																																
सामान्य	ओपन	10000																																
ग्रामीण	अजा./अजजा.	2500																																
ग्रामीण	अपिव.	4000																																
ग्रामीण	ओपन	8000																																
नोट: संबंधित मुख्य श्रेणी के अंतर्गत उप-श्रेणियों के लिए समान आवेदन शुल्क लागू है।																																		

1	विज्ञापन में लोकेशन की क्र.सं	
2	लोकेशन का नाम	
3	जिला	
4	राज्य	
5	श्रेणी *	उप-श्रेणी**

\*\* सीसी1/सीसी2 उपश्रेणी के लिए आवेदक को ड्रॉप डाउन के माध्यम से जानकारी प्रदान करनी होगी

उपरोक्त लागू श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाण पत्र मेरे/हमारे पास उपलब्ध है/हैं और/या तेल कंपनी (आईओसी/बीपीसी/एचपीसी) द्वारा निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रेणी*	पात्रता प्रमाणपत्र प्रारूप	श्रेणी*	पात्रता प्रमाणपत्र प्रारूप	श्रेणी*	पात्रता प्रमाणपत्र प्रारूप
अजा./अजजा.	परिशिष्ट VI	अपिव.	परिशिष्ट - VII-अ और VII-ब		

अजा./अजजा. सीसी1**	परिशिष्ट VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र/ निर्वहन आदेश या पेंशन आदेश, जैसा लागू हो	अपिव.सीसी1**	परिशिष्ट - VII-अ, VII-ब, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र/ निर्वहन आदेश या पेंशन आदेश, जैसा लागू हो	ओपन सीसी1**		परिशिष्ट - VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र/ निर्वहन आदेश या पेंशन आदेश, जैसा लागू हो
				ओपन सीसी2**		परिशिष्ट- ओएसपी/एफएफ/पीएसीएस के लिए लागू प्रमाणपत्र
अजा./अजजा. पीएच	परिशिष्ट - VI, IX अ / IX ब / IX स	अपिव. पीएच	परिशिष्ट - VII-अ, VII-ब, IX अ / IX ब / IX स	ओपन पीएच		परिशिष्ट - IX अ / IX ब / IX स

मौजूदा अव्यवहार्य एसकेओ डीलर		आवंटन प्राधिकारियों से 75 केएलपीएम से कम आवंटन का प्रमाण। वैध डीलरशिप अनुबंध की प्रति.				
6	विज्ञापित किया गया (तारीख)			इन		
7	लोकेशन की साइट का प्रकार	सीसी/डीसी/सीएफएस				
8	आरओ का प्रकार	सामान्य/ग्रामीण				
9	प्रस्तावित/अप्रस्तावित भूमि के आधार पर आवेदक का गुप	गुप - 1, गुप - 2, गुप - 3 (भूमि की पेशकश के बिना आवेदक)				
10	आवेदक का प्रकार	मालिक/साझेदार	यदि "साझेदारी" है तो प्रत्येक भागीदार का विवरण अलग से प्रदान किया जाना चाहिए।			
11	चयन के बाद आवेदक को ओएमसी द्वारा सूचित किए जाने पर ब्रोशर के परिशिष्ट-Xअ में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल शपथ पत्र जमा करना होगा।					
11.1	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पहला नाम	मध्यनाम	उपनाम		
11.2	पिता/पति का नाम (श्री)	पहला नाम	मध्यनाम	उपनाम		
11.3	पता					
	जिला	राज्य		पिन-कोड		
	टेलीफोन न.				मोबाईल न.	
	ईमेल आइडी				पैन	
11.4	भारतीय नागरिक	हाँ	नहीं	आईटी नियमों के अनुसार भारत का निवासी	हाँ	नहीं



	यदि "नहीं" तो आवेदक पात्र नहीं है		यदि "नहीं" तो आवेदक पात्र नहीं है				
11.5	लिंग (जो लागू हो उस पर टिक लगाएं)		पुरुष		महिला		
11.6	जन्मतिथि				आवेदन की तिथि के अनुसार आयु (तेल विपणन कंपनी) द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए संदर्भित दस्तावेज		
		DD	MM	YYYY		Years	Months
11.7	वैवाहिक स्थिति (जो लागू हो उस पर टिक लगाएं)		अविवाहित	विवाहित	विधवा / विधुर	तलाक़शुदा	
11.8	जीवनसाथी का नाम (यदि विवाहित है)		श्री/ श्रीमती				
	पति/पत्नी नियोजित (जो भी लागू हो उस पर निशान लगाएं)		हाँ		नहीं		
11.9	निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं		हाँ		नहीं		
			नोट: यदि हां, तो आवेदक को तेल कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले रोजगार से इस्तीफा देना होगा और नियोक्ता द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना होगा				
12	शैक्षिक योग्यता (पात्रता मानदंड के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र का प्रमाण ओएमसी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)						
	कालीफ़िकेशन	बोर्ड/विश्वविद्यालय/(संस्थान) का नाम		सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री		उत्तीर्ण होने का वर्ष	
i)	10वीं पास						
13	<p>भूमि विवरण (कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रदान करने से पहले ब्रोशर की धारा संख्या 4 (vi) पढ़ें)</p> <p>भूमि के स्वामित्व के प्रमाण की प्रतिलिपि तेल विपणन कंपनी द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपलोड / जमा करना आवश्यक होगा - (ग्रुप - 1 और ग्रुप - 2)</p> <p>(ग्रुप-3 के अंतर्गत आवेदकों के लिए आवश्यक नहीं): ग्रुप-3 के लिए: मेरे/हमारे पास वर्तमान में उपयुक्त भूमि नहीं है। यदि किसी का चयन नहीं होता है या ग्रुप-1 और ग्रुप-2 से कोई उपलब्ध नहीं होता है और ग्रुप-3 के तहत आवेदकों पर विचार किया जाता है, तो मैं/हम आगे की चयन प्रक्रिया पर विचार करने के लिए ओएमसी द्वारा निर्देश के अनुसार भूमि की व्यवस्था करेंगे।)</p>						
	भूमि के मालिक/लीज़ होल्डर का नाम	आवेदक के साथ संबंध	बिक्री करार / उपहार करार / लीज़ करार के	संदर्भ बिंदु/भूमि चिह्न के संबंध	खसरा नंबर/खतौनी/गुट नंबर/सर्वे नंबर	भूमि का आयाम	

		पंजीकरण की तिथि / उत्परिवर्तन की तिथि / भूमि की पेशकश के लिए नोटरीकृत शपथ पत्र परिशिष्ट III के अनुसार की तिथि	में भूमि का लोकेशन (भूमि चिह्न/संदर्भ बिंदु और उससे दूरी निर्दिष्ट करें)		फ्रंटेज मीटर में	गहराई मीटर में	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

क) क्या आप तेल कंपनी को बिक्री/दीर्घ लीज़ पर भूमि हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं? हाँ/नहीं (केवल सीसी/सीएफएस साइटों के लिए लागू)

यदि हाँ, तो किस दर पर?

-

ख) उपरोक्त प्लॉट मेरे/मेरे परिवार के सदस्य के स्वामित्व में है (जैसा कि ब्रोशर के खंड 4 (vi) एच के तहत परिभाषित है) या तो स्वामित्व/दीर्घकालिक लीज़ के माध्यम से तेल कंपनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। (तेल कंपनी का नाम)

मेरे/हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मेरा/हमारा प्रस्ताव तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में परिभाषित "ग्रुप - 1" के तहत विचार किए जाने के योग्य है।

या

ग) \_\_\_\_\_ की उक्त भूखंड मुझे/हमें तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पेश किया गया है। उपरोक्त "फर्म ऑफर" के रूप में दिया जा रहा है और तेल कंपनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार खरीद/दीर्घकालिक लीज़ के लिए है। (तेल कंपनी का नाम)

मेरे/हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मेरा/हमारा प्रस्ताव तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में परिभाषित "ग्रुप - 2" के तहत विचार किए जाने के योग्य है।

(ग्रुप-1 के लिए (ख) पर टिक करें और ग्रुप-2 के लिए (ग) पर निशान लगाएं)

नोट:

यदि भूमि 'परिवार' के सदस्य/सह-मालिकों/अन्य की है, तो आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक के पास परिशिष्ट-III के अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र उपलब्ध होना चाहिए, जिसे ओएमसी द्वारा मांगे जाने पर अपलोड/जमा करना होगा। .

	घ) उक्त भूमि को तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अवधि के लिए तेल कंपनी को खरीद/लीज़/सब-लीज़ के लिए पेश किया गया है। (केवल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले डीलर संचालित (सीसी)/सीएफएस साइटों के तहत विज्ञापित लोकेशन के लिए लागू)।
	ई) यदि प्रस्तावित भूमि में एक से अधिक खसरा/खतौनी/गुट/गट्टा/लीज़/प्लॉट/सर्वे नंबर आदि हैं, तो आवेदन में भूमि का पूरा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।
	साइट मानचित्र/लेआउट स्केच (जैसा कि ब्रोशर के परिशिष्ट - V में दर्शाया गया है) कुल भूमि के हिस्से/हिस्से से संबंधित आयाम/क्षेत्र को दर्शाता है जहां रिटेल आउटलेट विकसित करने का प्रस्ताव है, तेल विपणन कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा।
14	वित्त की आवश्यकता: मैं वचन देता हूँ कि जब भी आरओ की स्थापना और आरओ के संचालन के लिए आवश्यकता होगी (आरओ साइट की श्रेणी के आधार पर) विज्ञापन में उल्लिखित धनराशि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  क) आरओ के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निधि (रु. _____) बी) आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी (रु. _____)
15	क्या आपकी "पारिवारिक इकाई" (जैसा कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित है) का कोई सदस्य किसी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक है, जिसे विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 5 साल (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 4 साल (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) के भीतर प्रमुख अनियमितताओं के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है ?  हां/नहीं (यदि हां, तो पात्र नहीं)
16	क्या आपकी "पारिवारिक इकाई" (जैसा कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित है) का कोई सदस्य किसी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक है जिसके खिलाफ विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों (आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए) और 4 वर्षों (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए) के भीतर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के उल्लंघन की लिए कार्यवाही चल रही है/की जा रही है?  हां/नहीं

## 15. आवेदक द्वारा वचनपत्र

- क. मुझे पता है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। तेल कंपनी द्वारा सत्यापन करने पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों की गलत बयानी/असत्य/मिथ्या ढंग से प्रस्तुत की गई है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और मुझे रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- ख. मैं यह भी पुष्टि करता/ करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में मेरे पास मूल रूप से सहायक दस्तावेज हैं और यदि चयन किया जाता है, तो इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के कारण चयन रद्द कर दिया जाएगा।

- ग. मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यदि मैं तेल कंपनी के मानक लेआउट के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए ऊपर उल्लिखित उपयुक्त साइट प्रदान करने में असमर्थ हूँ, तो मुझे दिया गया डीलरशिप का प्रस्ताव/आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
- घ. मैं यह भी जानता/ जानती हूँ कि विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और समयसीमा के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने में मेरी असमर्थता की स्थिति में, आवंटन वापस लिया जा सकता है और मुझे तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा।
- ङ. मुझे यह भी पता है कि विज्ञापन में तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्दिष्ट आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने में असमर्थ होने की स्थिति में या एलओआई शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, आवंटन वापस लिया जा सकता है और मेरा तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।
- च. मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यदि मैं कार्यरत हूँ तो मुझे रिटेल आउटलेट डीलर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले मुझे सेवा से इस्तीफा देना होगा और अपने नियोक्ता से मेरे इस्तीफे की स्वीकृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- छ. मैं यह भी जानता/ जानती हूँ कि डीलर के रूप में नियुक्ति पर मैं कोई अन्य रोजगार नहीं कर सकता/ सकती और न ही राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियां प्राप्त कर सकता/ सकती हूँ।
- ज. मैं पुष्टि करता/ करती हूँ कि मेरी "परिवार इकाई" (एकाधिक डीलरशिप मानदंड के तहत परिवार की परिभाषा के अनुसार) का कोई भी सदस्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर्मचारी नहीं है।
- झ. मैं पूरी तरह से जानता/ जानती हूँ कि यदि चयनित हुआ/ हुई, तो मैं डीलरशिप के मामलों को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करके डीलरशिप के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर ध्यान दूंगा/ दूँगी और कोई रोजगार लेने के लिए पात्र नहीं होऊंगा/ होऊँगी।
- ञ. यदि डीलरशिप मुझे प्रदान की जाती है, तो मैं डीलरशिप में पति या पत्नी को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के संबंध में \_\_\_\_\_ (ओएमसी) की शर्तों को पूरा करने का वचन देता/देती हूँ।
- ट. यह कि, यदि मेरा चयन होता है, तो मैं वचन देता/ देती हूँ कि मैं (ओएमसी) की नीति के अनुसार रुपये की व्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि रु. \_\_\_\_\_ जमा करूंगा/ करूँगी।
- ठ. यह कि, यदि मेरा चयन होता है, तो मैं वचन देता/ देती हूँ कि मैं (ओएमसी) की नीति के अनुसार रुपये की गैर-वापसीयोग्य निश्चित फीस का रु. \_\_\_\_\_ भुगतान करूंगा/ करूँगी। (डीलर के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू)। (डीसी साइटों के लिए)

## अथवा

यह कि, यदि मेरा चयन होता है, तो मैं वचन देता/ देती हूँ कि मैं (ओएमसी) की नीति के अनुसार गैर-वापसीयोग्य निश्चित फ़ीस अंतिम बोली राशि रु. \_\_\_\_\_ का भुगतान करूंगा/ करूंगी। (रिटेल आउटलेट कॉर्पस फंड को छोड़कर कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले साइट्स के लिए लागू) (सीसी साइट्स के लिए)

- क. मैं यह भी जानता हूँ कि एक ही विज्ञापन के तहत किसी विशेष आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही भूमि की पेशकश नहीं की जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि का वही टुकड़ा इस लोकेशन के लिए अन्य आवेदकों द्वारा पेश किया गया है, तो आरओ डीलरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी / डीलरशिप समाप्त कर दी जाएगी, यदि पहले से ही नियुक्त किया गया हो।
- ख. मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है और मैं पूरी तरह से लकवाग्रस्त नहीं हूँ।
- ग. मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे कभी भी नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
- घ. मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि न तो मैं और न ही मेरी "पारिवारिक इकाई" का कोई भी सदस्य (जैसा कि अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंडों के तहत परिभाषित किया गया है) कभी भी किसी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता था, जिसे सिद्ध कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था।
- ङ. मैं एतद् द्वारा यह पुष्टि करता/ करती हूँ कि "सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट हेतु डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में "अयोग्यता" खंड के अंतर्गत परिभाषित बहु डीलरशिप मापदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मैं पात्र हूँ और उसमें वर्णित अन्य शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन के लिए अयोग्य नहीं हूँ।
- च. मैं एतद् द्वारा यह पुष्टि करता/ करती हूँ कि मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस / डीलरशिप एग्रीमेंट कंट्रोल ऑर्डर या एसमा के उल्लंघन हेतु गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण डॉलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में (न्यायालयीन मामले, कारण बताओ नोटिस, इत्यादि), जो मेरे अथवा मेरे परिवार इकाई द्वारा किया गया हो (अयोग्यता मापदंड के वैयक्तिक गैर-वैयक्तिक बहु डीलरशिप मानदंड के अंतर्गत यथा परिभाषित), आवंटन सशर्त होगा और इस प्रकार की कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन होगा। मैं यह भी समझता/ती हूँ कि ऐसी लंबित कार्यवाहियों में प्रतिकूल निर्णय होने पर आवंटन के निरस्तीकरण के लिए मैं किसी प्रकार का दावा, क्षतिपूर्ति दावा करने के लिए पात्र नहीं हूँ।
- छ. मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता/ करती हूँ कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय झूठी जानकारी/तथ्यों की गलत बयानी/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी ओएमसी द्वारा मेरी उम्मीदवारी कभी भी खारिज/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं की गई है।

ज. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पता मेरा है।

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी

श्री \_\_\_\_\_ एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी

सत्य और सही है। कोई भी गलत जानकारी/गलत बयानी/तथ्यों को छिपाना मुझे इस आरओ डीलरशिप के लिए अयोग्य बना देगा। यदि मेरे आवेदन में या आरओ डीलरशिप के पुरस्कार के लिए आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज़ में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी/घोषणा असत्य या गलत या झूठी पाई जाएगी, तो .....ओएमसी आशय पत्र वापस लेने/डीलरशिप समाप्त करने (यदि पहले से ही नियुक्त है) का अधिकार उसके पास होगा और ऐसी वापसी/समाप्ति के लिए कॉर्पोरेशन के खिलाफ मेरा कोई भी दावा नहीं होगा।

लोकेशन: \_\_\_\_\_ आवेदक का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

दिनांक#: \_\_\_\_\_ आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

# आवेदन में उल्लिखित दिनांक को पात्रता मानदंड के मूल्यांकन के उद्देश्य से लागू दिनांक माना जाएगा।

परिशिष्ट- I B

रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन (प्रारूप गैर-व्यक्तिगत आवेदक)																						
आवेदन संख्या. ---->																						
	आवेदन तिथि						D	D	-	M	M	-	Y	Y								
तेल कंपनी का नाम: (आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)																						
प्रभागीय/क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय का नाम:																						
आवेदन शुल्क का विवरण (रु.)																						
लेन-देन संख्या																						
लेन-देन की तारीख और समय																						
भुगतान मोड																						
नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>आरओ का प्रकार</th> <th>श्रेणी</th> <th>आवेदन शुल्क रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य</td> <td>ओपन</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>ग्रामीण</td> <td>ओपन</td> <td>8000</td> </tr> </tbody> </table>														आरओ का प्रकार	श्रेणी	आवेदन शुल्क रु.	सामान्य	ओपन	10000	ग्रामीण	ओपन	8000
आरओ का प्रकार	श्रेणी	आवेदन शुल्क रु.																				
सामान्य	ओपन	10000																				
ग्रामीण	ओपन	8000																				

1	विज्ञापन में लोकेशन की क्र.सं	
2	लोकेशन का नाम	
3	जिला	
4	राज्य	
5	श्रेणी	

<p>गैर-व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/एजेंसियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी / सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी आयुक्त के साथ पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट। , कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत गठित कंपनियां।</p> <p>ओपन-सीसी2 उपश्रेणी के लिए प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) आवेदन करने के पात्र हैं</p>					
6	विज्ञापन की तिथि			(कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें)	
7	साइट का प्रकार	सीसी/डीसी			
8	आरओ का प्रकार	सामान्य/ग्रामीण			
9	प्रस्तावित भूमि के आधार पर आवेदक का गुप।	गुप 1 / गुप 2			
10	आवेदक का प्रकार	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ ट्रस्ट/सरकारी संगठन/प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) (कृपया जो भी लागू हो उस पर टिक करें)			
11	चयन के बाद आवेदक को तेल विपणन कंपनी द्वारा निर्देश दिए जाने पर ब्रोशर के परिशिष्ट-Xब में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल शपथ पत्र जमा करना होगा।				
11.1	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	पहला नाम	मध्यनाम	उपनाम	
11.2	पिता/पति का नाम (श्री)	पहला नाम	मध्यनाम	उपनाम	
11.3	पता				
	जिला	राज्य		पिन-कोड	
	टेलीफोन न.			मोबाईल न.	
	ईमेल आइडी			पैन	
12	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ ट्रस्ट/सरकारी संगठन/पीएसीएस का विवरण				
अ)	नाम				
ब)	रजि. कार्यालय का पता				
	जिला	राज्य		पिन-कोड	

	टेलीफोन न.		मोबाईल न.	
	ईमेल आइडी		पैन-कार्ड	(पोर्टल में पंजीकरण करते समय इसी पैन का उपयोग किया जाना चाहिए)
नोट: संस्था भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।				
स)	पंजीकरण/निगमन की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) (पंजीकरण प्रमाण पत्र/निगमन प्रमाण पत्र की प्रति निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)			
द)	सी.ए. द्वारा प्रमाणित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हुआ लाभ/हानि। (प्रमाणपत्र की प्रति निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी)	कर पश्चात लाभ (रु.)	हानि (रु.)	
i)				
ii)				
iii)				
नोट: केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों से लाभ कमाने वाली पंजीकृत सोसायटी/कंपनियां ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालाँकि, यह पीएसीएस के लिए लागू नहीं होगा				
13	भूमि विवरण (कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रदान करने से पहले ब्रोशर की धारा संख्या 4 (vi) पढ़ें) भूमि के स्वामित्व के प्रमाण की प्रति तेल विपणन कंपनी द्वारा निर्देश दिए जाने पर जमा करना आवश्यक होगा - (ग्रुप - 1 और ग्रुप - 2)			
भूमि स्वामी /लीज़होल्डर का नाम	बिक्री करार / उपहार करार / लीज़ करार के पंजीकरण की तिथि / उत्परिवर्तन की तिथि / भूमि की पेशकश के लिए नोटरीकृत शपथ पत्र <b>परिशिष्ट III के अनुसार</b> की तिथि	संदर्भ बिंदु/लैंडमार्क के संबंध में भूमि का लोकेशन (लैंडमार्क/संदर्भ बिंदु और उससे दूरी निर्दिष्ट करें)	खसरा नंबर/खतौनी/गुट नंबर/सर्वे नंबर	भूमि का आयाम
				अग्रभाग मीटर में
				गहराई मीटर में
				क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
क) क्या आप तेल कंपनी को बिक्री/दीर्घलीज़ पर भूमि हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं? हां नहीं				
यदि हाँ, तो किस दर पर?				
_____				
_____				



ख) स्वामित्व/दीर्घकालिक लीज़ के माध्यम से हमारे स्वामित्व वाला उपरोक्त प्लॉट, \_\_\_\_\_ ऑयल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, हमारा प्रस्ताव \_\_\_\_\_ तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में परिभाषित "ग्रुप - 1" के तहत विचार किए जाने के योग्य है।

या

ग) \_\_\_\_\_ से संबंधित उक्त भूखंड हमें तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पेश किया गया है। उपरोक्त "फर्म ऑफर" के रूप में दिया जा रहा है और यह \_\_\_\_\_ ऑयल कंपनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार खरीद/दीर्घकालिक लीज़ के लिए है। (तेल कंपनी का नाम)

हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, हमारा प्रस्ताव \_\_\_\_\_ तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में परिभाषित "ग्रुप - 2" के तहत विचार किए जाने के योग्य है।

(ग्रुप-1 के लिए (ख) पर टिक करें और ग्रुप-2 के लिए (ग) पर निशान लगाएं)

नोट:

किसी विशेष आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही भूमि की पेशकश नहीं की जा सकती है। यदि एक ही भूमि की पेशकश के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

यदि भूमि सह-मालिकों/अन्य की है, तो आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक के पास परिशिष्ट-III के अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र उपलब्ध होना चाहिए, जिसे तेल कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अपलोड करना होगा।

घ) उक्त भूमि, \_\_\_\_\_ तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अवधि के लिए तेल कंपनी को खरीद /लीज़ / सब-लीज़ के लिए पेश की गई है (विज्ञापित लोकेशन के लिए) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली डीलर संचालित साइटों के अंतर्गत)।

ङ) यदि प्रस्तावित भूमि में एक से अधिक खसरा/खतौनी/गुट/गट्टा/लीज़/प्लॉट/सर्वे नंबर आदि हैं, तो आवेदन में भूमि का पूरा विवरण दर्ज किया जाना है।

साइट मानचित्र/लेआउट स्केच (जैसा कि ब्रोशर के परिशिष्ट - V में दर्शाया गया है) कुल भूमि के हिस्से/हिस्से से संबंधित आयाम/क्षेत्र को दर्शाता है जहां रिटेल आउटलेट विकसित करने का प्रस्ताव है, मेरे द्वारा सलाह दिए जाने पर मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा। तेल विपणन कंपनी

14	<p>वित्त की आवश्यकता: हम वचन देते हैं कि जब भी आरओ की स्थापना और आरओ के संचालन के लिए आवश्यकता होगी (आरओ साइट की श्रेणी के आधार पर) विज्ञापन में उल्लिखित धनराशि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>क) आरओ के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निधि (रु. _____)</p> <p>ख) आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी (रुपये _____)</p>
15	<p><b>कंपनियों के लिए</b></p> <p>क्या आपकी कंपनी (इसकी होल्डिंग/सहायक कंपनियों/किसी अन्य कंपनी या फर्म सहित जहां आपकी कंपनी की नियंत्रण हिस्सेदारी यानी 51% या अधिक है) या आपकी कंपनी के किसी निदेशक की "पारिवारिक इकाई" (जैसा कि मल्टिपल डीलरशिप के अयोग्यता मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है अथवा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों में गैर-व्यक्तियों (नॉन इंडिविजुयल) लिए डीलरशिप मानदंड में) किसी भी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक, बड़ी अनियमितताओं ( मेजर इरेगुलरिटी) के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है (आरओ/एसकेओ के लिए- एलडीओ डीलरशिप- पिछले 5 वर्षों के भीतर) (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पिछले 4 वर्षों के भीतर) विज्ञापन की तारीख से पहले?</p> <p><b>पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट के लिए</b></p> <p>क्या आपका संगठन या आपके संगठन की गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य की "पारिवारिक इकाई" (जैसा कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों में गैर-व्यक्तियों (नॉन इंडिविजुयल) लिए डीलरशिप मानदंड में)। किसी भी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक, बड़ी अनियमितताओं ( मेजर इरेगुलरिटी) के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है (आरओ/एसकेओ के लिए- एलडीओ डीलरशिप- पिछले 5 वर्षों के भीतर) (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पिछले 4 वर्षों के भीतर) विज्ञापन की तारीख से पहले?</p> <p>हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो पात्र नहीं)</p>
16	<p><b>कंपनियों के लिए</b></p> <p>क्या आपकी कंपनी (इसकी होल्डिंग/सहायक कंपनियों/किसी अन्य कंपनी या फर्म सहित जहां आपकी कंपनी की नियंत्रण हिस्सेदारी यानी 51% या अधिक है) या आपकी कंपनी के किसी निदेशक की "पारिवारिक इकाई" है (जैसा कि एकाधिक के अयोग्यता मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों में गैर-व्यक्तियों (नॉन इंडिविजुयल) लिए डीलरशिप मानदंड में)। किसी भी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक, बड़ी अनियमितताओं ( क्रिटिकल/ मेजर इरेगुलरिटी) के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है (आरओ/एसकेओ के लिए- एलडीओ डीलरशिप- पिछले 5 वर्षों के भीतर) (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पिछले 4 वर्षों के भीतर) विज्ञापन की तारीख से पहले?</p>

	<p><b>पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट के लिए</b></p> <p>क्या आपका संगठन या आपके संगठन की गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य की "पारिवारिक इकाई" (जैसा कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन दिशानिर्देशों में गैर-व्यक्तियों ((नॉन इंडिविजुयल) लिए डीलरशिप मानदंड में)। किसी भी तेल कंपनी का आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलर या एलपीजी वितरक, बड़ी अनियमितताओं ( क्रिटिकल/ मेजर इरेगुलरिटी) के तहत विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है (आरओ/एसकेओ के लिए- एलडीओ डीलरशिप- पिछले 5 वर्षों के भीतर) (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पिछले 4 वर्षों के भीतर) विज्ञापन की तारीख से पहले?</p> <p>हां नहीं</p>
--	--

## 17. आवेदक द्वारा वचनबद्धता

(क) हम जानते हैं कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता ऊपर दिए गए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। ऑयल कंपनी द्वारा सत्यापन करने पर यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत/गलत/गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है तो हमारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और हमें रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) हम यह भी पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में मूल रूप से सहायक दस्तावेज हमारे पास हैं और यदि चयन किया जाता है, तो इन दस्तावेजों को इस एप्लिकेशन में मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के कारण चयन रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) हम पूरी तरह से जानते हैं कि यदि हम तेल कंपनी के मानक लेआउट के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए ऊपर उल्लिखित उपयुक्त साइट प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो हमें दिया गया डीलरशिप का प्रस्ताव/आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) हम यह भी जानते हैं कि विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और समयसीमा के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने में हमारी असमर्थता की स्थिति में, आवंटन वापस लिया जा सकता है और हमें तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।

(ङ) हम यह भी जानते हैं कि विज्ञापन में तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्दिष्ट आरओ के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने में हमारी असमर्थता की स्थिति में या एलओआई की पूर्ति न होने की स्थिति में शर्तों के अनुसार, आवंटन वापस लिया जा सकता है और हमारे पास तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ कोई भी दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।

(च) मैं मेसर्स \_\_\_\_\_ की ओर से यह भी पुष्टि करता हूँ कि मेरा संगठन रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रबंधन स्वयं करेगा, अनुबंध के आधार पर नहीं।

(छ) यदि चयन किया जाता है, तो हम वचन देते हैं कि हम ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि जमा करेंगे।

\_\_\_\_\_ (तेल विपणन कंपनी) की नीति के अनुसार।

(ज) यदि चयन किया जाता है, तो हम वचन देते हैं कि हम गैर-वापसीयोग्य निश्चित फीस का भुगतान करेंगे।

\_\_\_\_\_ (तेल विपणन कंपनी) की नीति के अनुसार (डीलर के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू)।

या

यदि चयन किया जाता है, तो हम वचन देते हैं कि हम \_\_\_\_\_ (तेल विपणन कंपनी) (कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू) की नीति के अनुसार गैर-वापसीयोग्य अंतिम बोली राशि का भुगतान करेंगे।

(झ) हम यह भी जानते हैं कि एक ही विज्ञापन के तहत किसी विशेष आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही भूमि की पेशकश नहीं की जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि का वही टुकड़ा इस लोकेशन के लिए अन्य आवेदकों द्वारा पेश किया गया है तो आरओ डीलरशिप के लिए हमारी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और डीलरशिप समाप्त कर दी जाएगी (यदि पहले से ही नियुक्त है)।

(ञ) हम पुष्टि करते हैं कि हमें कभी भी नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

(ट) हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि न तो हम और न ही हमारे संगठन का कोई भी सदस्य (उनकी "परिवार इकाई" के सदस्यों सहित) (जैसा कि व्यक्तियों-इंडिविजुयल /गैर-व्यक्तियों (नॉन इंडिविजुयल)के लिए अयोग्यता मानदंड के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है) कभी भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। किसी भी तेल कंपनी का, जिसे सिद्ध कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था।

(ठ) हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम "नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में खंड "अयोग्यता" के तहत परिभाषित मल्टीपल डीलरशिप मानदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन के लिए पात्र हैं और रिटेल के आवंटन के लिए अयोग्य नहीं हैं उसमें उल्लिखित अन्य शर्तों के तहत।

(ड) हम पुष्टि करते हैं कि विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, नियंत्रण आदेश या ईएसएमए के उल्लंघन के लिए गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप (अदालत के मामले, कारण बताओ नोटिस इत्यादि) के खिलाफ लंबित किसी भी कार्यवाही की स्थिति में, आयोजित किया जाएगा। हमारे द्वारा या हमारे संगठन के किसी भी सदस्य (उनकी "परिवार इकाई" के सदस्यों सहित) द्वारा (जैसा कि अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों के लिए मल्टीपल डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है), किया गया आवंटन सशर्त होगा और परिणाम के अधीन होगा। ऐसी कार्यवाही हम समझते हैं कि ऐसी लंबित कार्यवाही में प्रतिकूल फैसले की स्थिति में आवंटन रद्द होने की स्थिति में हम किसी भी दावे, क्षति आदि के हकदार नहीं होंगे।

(ढ) हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी/तथ्यों की गलत बयानी/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी तेल

विपणन कंपनी द्वारा हमारी उम्मीदवारी को कभी भी अस्वीकार/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं किया गया है।

# उपयोगकर्ता पुस्तिका

## पेट्रोल पंप डीलर चयन पोर्टल

### के लिए



<https://www.petrolpumpdealerchayan.in>

यह पोर्टल विभिन्न स्थानों के लिए पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट डीलरशिप के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बनाया गया है। डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित चरण अपनाने होंगे।

- ईमेल, मोबाइल नंबर ,तथा पैन नंबर तैयार रखे
- पोर्टल [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर जाए
- विज्ञापन 2023 पर कम्प्युटर कर्सर से क्लिक करे
- [https:// www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/](https://www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/) पर पंजीकरण करे
- पोर्टल पर लॉग इन करे
- विज्ञापन चुनें
- आवेदन करने हेतु लोकेशन चुनें
- आवेदन फॉर्म भरे
- ऑनलाइन पेमेंट करे
- फॉर्म सबमिट करे

## चरण 1: पंजीकरण

डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

रजिस्टर करने के लिए:

- [www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर जाएं
- **Advertisements 2023** बटन पर क्लिक करें (स्क्रीन शॉट 1 देखें)
- "रेजिस्टर नोव" टैब पर क्लिक करें (स्क्रीन शॉट 2 देखें)
- फॉर्म में सभी विवरण ई मेल तक भरें. (स्क्रीन शॉट 3 देखें)
- जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। दिए गए ई मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा, ई मेल के सत्यापन हेतु
- ओटीपी को पंजीकरण फील्ड में दर्ज करें ई मेल के सत्यापन की सफलता हेतु
- मोबाइल नंबर तथा अन्य डिटेल्स पंजीकरण फील्ड में भरें
- जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी पंजीकरण हेतु अंकित करें
- स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। अब रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है
- ई मेल [noreply@petrolpumpdealerchayan.in](mailto:noreply@petrolpumpdealerchayan.in) से प्राप्त होगा जिसमें यूजर नेम तथा पासवर्ड होगा

## चरण 2: पोर्टल लॉगइन करें

पंजीकरण के बाद, आवेदक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है।

[www.petrolpumpdealerchayan.in](http://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर जाएं

- **Advertisements 2023** बटन पर क्लिक करें (स्क्रीन शॉट 1 देखें)
- लॉगिन बटन पर क्लिक करें
- उपयोगकर्ता नाम के रूप में ईमेल आईडी दर्ज करें।
- अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त पासवर्ड दर्ज करें। आवेदक को सुझाव दिया जाता है की पहली बार लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध **change password** ऑप्शन का उपयोग करके अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएं
- लॉगिन के समय ईमेल आईडी को उपयोगकर्ता नाम के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उपयोगकर्ता किसी भी समय अपना पासवर्ड बदल सकता है।

- पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए - कम से कम 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, और 1 अल्फाबेट।

### **चरण 3: आवेदन फॉर्म भरे**



पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आवेदक मेनू के रूप में निम्नलिखित विकल्प देख पाएंगे

**1. डैशबोर्ड:** यहां उपयोगकर्ता दो विकल्प देख सकता है **1. उपलब्ध विज्ञापन 2. लागू विज्ञापन।(स्क्रीन शॉट 6 देखें)**

**2. उपलब्ध विज्ञापन:** यहां उपयोगकर्ता राज्यवार सभी विज्ञापन पा सकता है जिसके लिए उपयोगकर्ता ने आवेदन नहीं किया है।

**3. लागू विज्ञापन:** यहां उपयोगकर्ता उस विज्ञापन का विवरण देख सकता है जिसके लिए उसने आवेदन किया है।

**4. प्रोफाइल:** यहां उपयोगकर्ता पंजीकरण के समय दर्ज किए गए अपने विवरण, अपेक्षित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को संपादित कर सकते हैं।

**5. पासवर्ड बदलें:** यहां यूजर पासवर्ड बदल सकता है।

अब आवेदक को उपलब्ध विज्ञापन ( **Available Advertisement**) लिंक/बटन पर क्लिक करना होगा और उस विज्ञापन का चयन करना होगा जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है। 'व्यू डिटेल्स ' पर क्लिक करने के बाद सभी लोकेशन उस विशेष विज्ञापन के अंतर्गत प्रदर्शित होंगे।

आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

- उस विज्ञापन के अंतर्गत उपलब्ध ऑइल कंपनी तथा राज्य चुने। **(स्क्रीन शॉट 7 देखें)**
- उस राज्य तथा जिले के अंतर्गत वह लोकेशन चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। **(स्क्रीन शॉट 8 देखें)**
- उस लोकेशन के लिए आवेदन करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र पर निर्देशित किया जाएगा। यहां आवेदक उस विशेष लोकेशन के सभी विवरण देख सकते हैं। **(स्क्रीन शॉट 9 देखें)**
- आवेदन पत्र देखने के लिए नीचे स्कॉल करें और आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना शुरू करें।
- आवेदन पत्र को सेव करने के लिए सेव बटन पाने के लिए नीचे स्कॉल करें।
- आवेदन पत्र को किसी भी समय संपादित किया जा सकता है और यदि इसे अंतिम रूप से जमा नहीं किया गया है तो इसे अस्थायी रूप से सहेजा जा सकता है।**(स्क्रीन शॉट 10 देखें)**
- एक बार एप्लिकेशन सेव हो जाने के बाद, एप्लिकेशन फॉर्म को संपादित करने के लिए एप्लाइड विज्ञापन बटन/लिंक पर जाएं। **(स्क्रीन शॉट 11 देखें)**
- आवेदन पत्र में पूरा विवरण भरने के बाद, आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए "सबमिट करें और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। **(स्क्रीन शॉट 12 देखें)**
- एक बार आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, इसे संपादित या बदला नहीं जा सकता है।

- एप्लिकेशन एक 'रद्द करें' बटन भी देख सकता है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक अपना आवेदन रद्द कर सकता है।(स्क्रीन शॉट 12 देखें)

## चरण 4: ऑनलाइन भुगतान करें

आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। भुगतान के बिना, आवेदन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

- एप्लाइड विज्ञापन लिंक पर जाएं.
- लॉग-इन आवेदक के सभी आवेदन स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।(स्क्रीन शॉट 14 देखें)
- **40** मिनट का समय अंतराल आवेदन आवेदन को सेव अथवा सबमिट करने के लिए रहता है ।
- यह परामर्श है की ब्रोचर को डाउनलोड कर पढ़ने के बाद आवेदन किया जाए।
- यदि आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है और भुगतान किया जाना है, तो वहां "ऑनलाइन भुगतान करें" का एक बटन प्रदर्शित होता है।
- आवेदक को उस बटन पर क्लिक करना होगा और चेकआउट पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।  
(स्क्रीन शॉट 13 देखें)
- चेकआउट बटन पर क्लिक करें।(स्क्रीन शॉट 14 देखें)
- आवेदक को पेमेंट गेटवे पेज पर निर्देशित किया जाएगा। (स्क्रीन शॉट 15 देखें) भुगतान पूरा करें।
- सफल भुगतान के बाद, आवेदक आवेदन की एक पीडीएफ प्रति डाउनलोड कर सकता है। पीडीएफ में, आवेदक द्वारा भरे गए सभी विवरण दिखाए जाएंगे।
- अब आवेदन पूरा हो गया है. आवेदन की सारी जानकारी आवेदक की ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी।

### .नोट:

- यदि आवेदक पहले ही आवेदन कर चुका है तो वह उसी लोकेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। हालाँकि वह अलग-अलग लोकेशन के लिए आवेदन कर सकता है।


- आवेदक को आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और ऑनलाइन आवेदन की एक पीडीएफ प्रति तैयार हो जाने के बाद, विवरण संपादित नहीं किया



## Screen Shot 1

## Screen shot 2

### Screen Shot 3




### Screen shot 4

From: **Petrol Pump Dealer Chayan** <[noreply@petrolpumpdealerchayan.in](mailto:noreply@petrolpumpdealerchayan.in)>

Date: Wed, 14 Jun 2023 at 10:50

Subject: New Petrol Pump Dealer Chayan Registration

To:



**Dear User**

New User XXXX has registered. Please use below password to access and reset password

<b>User Name</b>	XXXX
<b>User Email</b>	<a href="mailto:XXXX123@gmail.com">XXXX123@gmail.com</a>

Password

IoLXRd

## Petrol Pump Dealer Chayan

### Screen Shot 5

Kindly Login using your registered Email Id with password to apply and for all communications

IndianOil Bharat Petroleum HPCL Petrol Pump Dealer Chayan

Applicant Login Panel

Enter email

This field is required.

.....

Q F b 9 G C

QFb9GQ

Submit

Forgot Password

### Screen Shot 5

Applicant Login

https://www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/applicant-login

IndianOil Bharat Petroleum HPCL Petrol Pump Dealer Chayan

Applicant Login Panel

You are successfully registered. Please check mail for password. Please login within 30 minutes otherwise your registration will be cancelled.

Enter email

Enter password

D D D 7 k R

Enter captcha

Submit

Forgot Password

Type here to search

37°C Mostly cloudy

21:48 14-06-2023

## Screen Shot 6

The screenshot shows a web browser window displaying an Applicant Dashboard. The browser's address bar shows the URL <https://www.petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/applicant-dashboard>. The page title is "Applicant Dashboard".

The dashboard interface includes a dark sidebar on the left with the following menu items: Dashboard (home), Available Advertisements, Applied Advertisements, Profile, Change Password, Delete Account, and Logout. The main content area features a welcome message: "Welcome, NAVNEET KUMAR" with the date "14-Jun-2023" in the top right corner. Two prominent blue buttons are visible: "Available Advertisements" and "Applied Advertisements".

At the bottom of the dashboard, there is a footer section containing: "FAQs | Divisional Offices(IOC) / Territory Offices(BPC) / Regional Offices(HPC)", "For any Complaints/Queries Write to us on [support\[at\]petrolpumpdealer\[dot\]in](mailto:support[at]petrolpumpdealer[dot]in)", "Best viewed at 1366x768 resolution in Chrome 30+, IE 11+, Firefox 27+ & latest version of others.", and "Copyright © Petrol Pump Dealer Chayan. All rights reserved.".

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with "Type here to search", several application icons (Excel, Edge, Word, PowerPoint, File Explorer, Outlook), and system tray information including "37°C Mostly cloudy", "21:51", and "14-06-2023".

## Screen Shot 7

AYUSH Gupta

Dashboard (Home)

Available Advertisements

Applied Advertisements

Profile

Change Password

Delete Account

Logout

Available Advertisements

Filter by: Company State

Show 10 entries

Search:

Title	Company	State	Opening Date	Closing Date	Action
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Bihar By BPCL	BPC	BIHAR	05-May-2023	14-Sep-2023 23:59:59	<a href="#">View Details</a>
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Bihar By HPCL	HPC	BIHAR	05-May-2023	14-Sep-2023 23:59:59	<a href="#">View Details</a>
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Bihar By IOCL	IOC	BIHAR	05-May-2023	14-Sep-2023 23:59:59	<a href="#">View Details</a>

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

## Screen Shot 8

AYUSH Gupta

Dashboard (Home)

Available Advertisements

Applied Advertisements

Profile

Change Password

Delete Account

Logout

View Advertisement

**Title:** Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Bihar By HPCL **Published Date:** 05 May 2023

**Company Name:** Hindustan Petroleum Corporation Ltd. **Closing Date:** 14 September 2023

**State Name:** BIHAR

[View Advertisement Details](#)

Advertisement Detail - Locations

Filter by: District Type of RO Mode of selection Category Name

Show 10 entries

Search:

Region	District	Location Description	Location Sl. No.	Type of RO	Mode of selection	Category Name	Action
Begusarai	CHAMPARAN - EAST	Within 5 km from Janta Chowk, Chauradono towards Adapur on Gandak Road	594	Rural	Bidding	OPEN CC 1	<a href="#">Apply Now</a>
Begusarai	KATIHAR	Between Chhethariyapir Chowk & Dighri Chowk on Chhethariyapir-Dighri Road.Korha Block,Katihar	631	Rural	Bidding	OPEN PH	<a href="#">Apply Now</a>
Patna	ROHTAS	Within 3 Km from Ucchar Madhyamik Vidyalaya, Nauhatta towards Akbarpur on Akbarpur- Yadunathpur Road	6	Rural	Draw of Lots	SC	<a href="#">Apply Now</a>
Patna	GAYA	BETWEEN KURWA AND NAIBAZAR ON SH-4	7	Regular	Draw of Lots	OPEN	<a href="#">Apply Now</a>

**Advertisement** Time left : 29 : 40

Advertisement Title	Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Bihar By HPCL
Published On	05-May-2023
Company Name	Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL)
Name of the Location	Within 5 Kms from Sahid Jagat Chavik, Goh Towards Patganj on SH-68
District	AURANGABAD
State / UT	BIHAR

[View](#)

Read the Brochure carefully before applying

Apply as:  Individual |  Partnership |  Non Individual

Category	OPEN CC 2
Eligibility certificate(s) for the category applied as above is/are available with me/us and will be submitted as and when advised by Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	
Sub Category	Select sub category
RO Type	Regular
Application Fee(%)	10000
Type of site	DC

---

**Personal Information**

First Name	AYUSH	Middle Name	...
Last Name	Gupta	Gender	Male
Mob. No.	9045740523	Landline No.	
Address*	Address	Pin Code*	
State*	Select State	District*	Select District
Email Id	ayushgupta@cpfuture.com		
PAN NO.	CPNPG7890P		

Are you or any member of your "family unit" as defined under Multiple Dealership Norm of "Brochure for Selection of Dealers for Regular & Rural Retail Outlets" is an employee of IOC/BPC/HPC?  Yes  No

Are you or any other member of your "family unit" as defined under Multiple Dealership Norm of "Brochure for Selection of Dealers for Regular & Rural Retail Outlets" is holding a RO/SKO-LDO dealership/LPG distributorship or Letter of Intent (LOI) for the same, of any Oil Company?  Yes  No

Whether Applicant is Indian Citizen?  Yes  No

Resident of India as per IT Rules\*  Yes  No

Date of Birth (Proof of age required to be submitted as and when asked by Hindustan Petroleum Corporation Ltd.) 07-Jun-2002

Age 21 Years 0 Months 3 Days

Document Relied for proof of Age\*   
Please Select

Father's / Husband's Name (In case of married women enter husband's name)   
First Name Middle Name Last Name

Marital Status \*  Single  Married  Widowed  Divorcee

Applicant would be required to submit Affidavit in original as per the format given in Appendix XX of the Brochure on intimation by the Oil Company (Hindustan Petroleum Corporation Ltd.) upon selection.

[View/Download Format](#)



- Dashboard Home
- Available Advertisements
- Applied Advertisements
- Profile
- Change Password
- Delete Account
- Logout

**Land Details (Please read Clause no. 4 (vi) of Brochure before providing the information below).**  
Copy of proof of ownership of land would be required to be uploaded/submitted as & when advised by OMCs(Hindustan Petroleum Corporation Ltd.).

Time left : 27 : 13

Group Type\*  
Select Group

Name(s) of the owner of Land / Leaseholder*	Relationship with applicant*	Date of registration of sale deed/gift deed / lease deed/ date of mutation/ date of Notarized Affidavit for offer of land as per Appendix III*	Location of the land with respect to Reference point / Land mark (Specify land mark / Reference point and distance from the same)*	Khasra No./Khatauni/Gut No./Survey No.*	Dimensions of Land*			Details of co-owner(s)
					Frontage in Meter*	Depth in Meter*	Area(Sq.m)*	
<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="DD-MM-YYYY"/>	Location of the land with respect to Reference point	<input type="text" value="Khasra No./Khatauni/Gut"/>	<input type="text" value="35.00"/>	<input type="text" value="35.00"/>	<input type="text" value="1225.00"/>	<input type="button" value="Add More"/>

Do you want to offer another plot of land under?  Yes  No

Note: In case land belongs to member of 'Family' / Co-owners / Others, before submission of application, notarized affidavit as per Appendix - III should be available with the applicant, which is to be uploaded/submitted as and when asked by Oil Company(Hindustan Petroleum Corporation Ltd.) The said land, has been offered for purchase / lease / sub-lease to the oil company for a period as per the terms and condition of the advertisement published by the Oil company (Hindustan Petroleum Corporation Ltd.). (Applicable only for location advertised under Corporation Owned Dealer Operated(CO/CO) sites. In Case the offered land has multiple Khasra / Khatauni / Gut / Gatta / Patta / Plot / Survey Nos. etc., complete details of land to be entered in the application.

The Site map/Layout sketch (as indicated in Appendix - V of the Brochure) indicating dimensions/ area pertaining to the part/portion of the total land where Retail Outlet is proposed to be developed, will be uploaded by me as and when advised by Oil Company(Hindustan Petroleum Corporation Ltd.).

**Requirement of Finance** : Undertake that fund(s) as mentioned in the advertisement will be made available by me/us as when required for setting up of RO and operation of RO.

a) Fund for development of infrastructure for RO (Rs. 6000000.00)

b) Working capital for operation of RO (Rs. 2500000.00)

**Undertaking By The Applicant(Scroll down to accept)**

a. I confirm that I have never been convicted for any criminal offence involving moral turpitude and/or economic offences (other than freedom struggle).

b. I hereby confirm that neither I nor any member of my 'Family Unit' (as defined under Multiple dealership norm for individuals/non-individuals of Disqualification criteria), was ever a signatory to dealership/distributorship agreement of any Oil Company, which was terminated for proven malpractices and / or for violations of provisions of the Marketing Discipline Guidelines.

c. I do hereby confirm that I am eligible for allotment of Retail Outlet dealership as per applicability of Multiple Dealership Norm defined under Clause 'Disqualification' in the 'Brochure for Selection of Dealers for Regular & Rural Retail Outlets' and do not disqualify for allotment of Retail Outlet dealership under other conditions mentioned therein.

d. I confirm that in the event of any proceedings pending against the dealership/distributorship (Court cases, Show Cause notices, etc.) on account of ethical/major irregularities for violation of Marketing Discipline Guidelines/Dealership Agreement, Control Orders or ESMA held by me or my family unit (as defined under Multiple dealership norm for individuals/non-individuals of Disqualification criteria), the allotment made will be conditional and subject to the outcome of such proceedings. I understand that I will also not be entitled for any claim, damages, etc. in case of cancellation of allotment in the event of adverse verdict in such pending proceedings.

e. I hereby confirm that my candidature has never been rejected/cancellation of dealership/distributorship terminated by any of the Oil Company for providing false information/misrepresentation of facts/submitting false documents while applying for RO(DO-DO Dealership) / DG Distributorship.

f. I confirm that the mobile no., e-mail id and address mentioned in this application form belongs to me.

g. I am aware that this is only a business offer and the oil company/Hindustan Petroleum Corporation Ltd. reserves the right to cancel the advertised location and I shall not claim any damages/compensation from the oil company/Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

**Accept\***

**Declaration**

I, AYUSH Gupta son of Shri hereby confirm that the information given above is true and correct. Any wrong information / misrepresentation / suppression of facts will make me ineligible for this RO dealership. That if any information/declaration given by me in my application or in any document submitted by me in support of application for the award of the RO dealership shall be found to be untrue or incorrect or false, the Oil Company (Hindustan Petroleum Corporation Ltd.) would be within its rights to withdraw the letter of intent / terminate the dealership (if already appointed) and that I would have no claim, whatsoever, against the Corporation for such withdrawal / termination.

**Applicant photo & signature**

**Applicant Photo\***

No file chosen

(Format: jpg/png/jpeg only)  
Size: 2 MB max)

**Applicant Signature\***

No file chosen

(Format: jpg/png/jpeg only)  
Size: 1 MB max)

## Screen shot 11

Applied Advertisements

petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/applicant-dashboard/applied-advertisements

RAHUL Chaudhary

Dashboard (Home)

Available Advertisements

Applied Advertisements

Profile

Change Password

Delete Account

Logout

Your application has been saved.

Applied Advertisements

Show 10 entries

Search:

Title	Type of RO	Category	Mode Of Selection	Name Of Location	Closing Date	Applied On	Action
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	OPEN	Bidding	A	28-Sep-2023	26-Jun-2023 14-44-44	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="View"/> <input type="button" value="Cancel"/> Status: Pending for Final Submission.
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	ST	Draw of Lots	C	28-Sep-2023	26-Jun-2023 14-33-32	<input type="button" value="Download PDF"/> <input type="button" value="View"/> <input type="button" value="Cancel"/> Status: Pending for Payment. Your last transaction is in queue. Please check after 1 hour and 30 minutes.
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	ST	Draw of Lots	B	28-Sep-2023	26-Jun-2023 13-50-01	Select partner to download PDF <input type="text" value="Select Value"/> Select partner to view <input type="text" value="Select Value"/> <input type="button" value="Cancel"/> Status: Pending for Payment. Your last transaction is in queue. Please check after 1 hour and 30 minutes.
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	OPEN	Bidding	A	28-Sep-2023	26-Jun-2023 13-50-01	Select partner to download PDF <input type="text" value="Select Value"/>

## Screen shot 12

Apply Ad

petrolpumpdealerchayan.in/petrol-2023/applicant-dashboard/apply-ad/ODIzNjg/MTkw#no-back-button

RAHUL Chaudhary

Dashboard (Home)

Available Advertisements

Applied Advertisements

Profile

Change Password

Delete Account

Logout

Accept\*

Time left : 38 : 40

**Declaration**

I, **RAHUL Chaudhary** son of Shri **ABC QWE QWERTY** hereby confirm that the information given above is true and correct. Any wrong information /misrepresentation/ suppression of facts will make me ineligible for this RO dealership. That if any information/declaration given by me in my application or in any document submitted by me in support of application for the award of the RO dealership shall be found to be untrue or incorrect or false, the Oil Company (**Indian Oil Corporation Ltd..**) would be within its rights to withdraw the letter of intent / terminate the dealership (if already appointed) and that I would have no claim, whatsoever, against the Corporation for such withdrawal / termination.

**Applicant photo & signature**

**Applicant Photo \***

Choose file dee61cf3-8258-45c2...cf-cfc31d8a9037.jpeg  
 (Format: jpg/jpeg/png only,  
 Size: 2 MB max)

**Applicant Signature \***

Choose file Picture 1.jpg  
 (Format: jpg/jpeg/png only,  
 Size: 1 MB max)

Note: \* is mandatory field.

Submit & Proceed to Pay Save Cancel

## Screen Shot 13

Applied Advertisements

Show 10 entries

Search:

Title	Type of RO	Category	Mode Of Selection	Name Of Location	Closing Date	Applied On	Action
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	SC	Draw of Lots	A	28-Sep-2023	26-Jun-2023 15-08-56	<a href="#">Download PDF</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Cancel</a> Status: Pending for Payment. Your last transaction is in queue. Please check after 1 hour and 30 minutes.
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	OPEN	Bidding	A	28-Sep-2023	26-Jun-2023 14-50-42	<a href="#">Download PDF</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Cancel</a> Status: Pending for Payment. <a href="#">PAY ONLINE</a>
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	ST	Draw of Lots	C	28-Sep-2023	26-Jun-2023 13-32	<a href="#">Download PDF</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Cancel</a> Status: Pending for Payment. Your last transaction is in queue. Please check after 1 hour and 30 minutes.
Appointment of Retail Outlet Dealerships in the State of Uttar Pradesh by IOCL	Regular	ST	Draw of Lots	B	28-Sep-2023	26-Jun-2023 13-50-01	Select partner to download PDF <input type="text" value="Select Value"/> Select partner to view <input type="text" value="Select Value"/> <a href="#">Cancel</a> Status: Pending for Payment.

Screenshot

## Screen Shot 14

Advertisement

ADVT FOR NEW ROS IN ANDHRAPRADESH

Name of the Location

TADIPATRI TOWN

**Application Details**

Applicant Name: DAVINDER KUMAR GOYAL

Mobile No: 964668166

Application Fee: Rs. 1.00

**Terms & Conditions**

I accept Terms & Conditions

[Proceed To Pay](#)

# Screen Shot 15

The screenshot displays the SBIlePay payment interface. At the top left is the SBIlePay logo. Below it is a dark blue header with the text "Payment Details". On the left side, there are two menu items: "Debit/Credit Card" (selected) and "Internet Banking". The main area is titled "Please enter your card details" and contains the following fields:

- Card Number:** A text input field with logos for VISA, MasterCard, and RuPay to its right.
- Expiry Date/Valid Thru:** Two dropdown menus for "Month" and "Year".
- CVV/CVC 4-DBC:** A text input field with a small icon to its right.
- Name of the card holder:** A text input field with the placeholder text "Name as on card".

At the bottom of the card details section, there is a prominent yellow "Pay Now" button and a smaller blue "Cancel" link.

On the right side, there is a grey box titled "Order Summary" containing the following information:

- Order No.:** 15423648828901249
- Merchant Name:** Bharat Petroleum Corporation Limited
- Amount:** 1.00
- Processing fee:**
- GST:**
- Total:** Activate Windows

जीवनसाथी को भागीदार बनाने के लिए एलओआई धारक द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप

लोकेशन:

दिनांक:

सेवा में,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

विषय: लोकेशन \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ श्रेणी पर विज्ञापित / विज्ञापन दिनांक के तहत आरओ डीलरशिप के लिए सह-मालिक/साझेदार के रूप में पति या पत्नी को शामिल करने के लिए पत्र

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं आपके पत्र संदर्भ \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में लिख रहा हूँ। मुझे लोकेशन \_\_\_\_\_ श्रेणी के अंतर्गत \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ विज्ञापन दिनांक/ पर विज्ञापित में आरओ डीलरशिप प्रदान करने के इरादे से सूचित किया, और निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहता हूँ: -

\*\* मैं विवाहित हूँ और मेरे जीवनसाथी का नाम \_\_\_\_\_ है। मुझे पता है कि डीलर चयन के नियमों और शर्तों के अनुसार, मेरा जीवनसाथी मेरे साथ आरओ डीलरशिप का सह-मालिक यानी 50% भागीदार होगा/होगी, जब तक कि मेरा जीवनसाथी पहले से ही लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं है और/या भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं परिशिष्ट -IIA के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसमें पुष्टि की जाएगी कि वह नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी करने से पहले भागीदार बनना चाहता/चाहती है। नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी करने/समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं अपने जीवनसाथी के साथ साझेदारी आदि के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज/औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा/लूंगी। मैं यह भी जानता हूँ कि समझौते पर हम दोनों संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

या

\*\* मैं विवाहित हूँ और मेरे जीवनसाथी का नाम \_\_\_\_\_ है। मुझे पता है कि डीलर चयन के नियमों और शर्तों के अनुसार, मेरा जीवनसाथी मेरे साथ आरओ डीलरशिप का सह-मालिक यानी 50% भागीदार होगा/होगी, जब तक कि मेरा जीवनसाथी पहले से ही लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं है और/या भागीदार नहीं बनना चाहता। मेरा जीवनसाथी पहले से ही लाभकारी रूप से कार्यरत है और/या भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं परिशिष्ट - IIA के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें पुष्टि की जाएगी कि वह नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी करने / समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले भागीदार नहीं बनना चाहता है।

या

\*\* मैं अविवाहित/विधवा/विधुर/तलाकशुदा हूँ। भविष्य में मेरी शादी/पुनर्विवाह के मामले में, मैं अपनी शादी के बारे में कंपनी को सूचित करने का वचन देता हूँ और मेरे विवाह/पुनर्विवाह के बारे में एक वर्ष के भीतर डीलरशिप में जीवनसाथी को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के संबंध में \_\_\_\_\_ (तेल कंपनी का नाम) की शर्तों को पूरा करने का वचन देता हूँ।

\*\* जो लागू न हो उसे काट दें।

धन्यवाद,

आपका शुभचिंतक

परिशिष्ट – IIB

यदि एलओआई धारक भागीदार बनना चाहता है/नहीं चाहता है तो उसके पति या पत्नी से

नोटरीकृत शपथ पत्र

(आवश्यक मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाना है)

(नियुक्ति पत्र स्वीकार करने/डीलरशिप समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यक्तिगत

एलओआई (आशय पत्र) धारक के पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\* की आरओ डीलरशिप के मामले में \_\_\_\_\_ (लोकेशन) जिला \_\_\_\_\_ श्रेणी के अंतर्गत \_\_\_\_\_ पर विज्ञापित।

में, \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, \_\_\_\_\_ का निवासी, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ:

1. कि मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती. \_\_\_\_\_, ने उपरोक्त आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन किया है और \_\_\_\_\_ (तेल विपणन कंपनी नाम) ने मेरे पति/पत्नी के पक्ष में पत्र संदर्भ संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से आशय पत्र जारी किया है।

2. मुझे पता है कि डीलर चयन के नियमों और शर्तों के अनुसार, मुझे सह-मालिक के रूप में शामिल किया जाना है, यानी मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ को आवंटित आरओ डीलरशिप का 50% भागीदार।

\*मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ को आवंटित डीलरशिप में भागीदार/सह-मालिक बनना चाहता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि डीलरशिप प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज और वचन/शपथ पत्र नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी करने से पहले मेरे द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।

या

\*जैसा कि नीचे बताया गया है कि मैं वर्तमान में लाभकारी रूप से कार्यरत हूँ: -

नियोक्ता के पते के साथ रोजगार का विवरण।

इसलिए, मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ को आवंटित डीलरशिप में भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ।

या

\*कि मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ को आवंटित डीलरशिप में भागीदार नहीं बनना चाहता।  
व्यक्तिगत कारणों से।

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई और घोषणा की गई

यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर और मुहर

हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी

पब्लिक अभिसाक्षी का नाम

नोट :स्टाम्प पेपर अभिसाक्षी के नाम से खरीदा जाना चाहिए

परिशिष्ट - III

परिवार के सदस्य और/या भूमि दस्तावेजों द्वारा समर्थित तीसरे पक्ष से भूमि की पेशकश के लिए  
नोटरीकृत शपथ पत्र - भूमि के सभी संयुक्त मालिकों/सह-मालिकों को व्यक्तिगत रूप से यह शपथ पत्र  
जमा करना होगा।

(आवश्यक मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाना है)

मैं \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष,  
निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नानुसार कहता हूँ: -

1. \*मैं समझता हूँ कि परिभाषा के अनुसार, नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलर के चयन के लिए "स्वामित्व वाली" श्रेणी के तहत भूमि की पेशकश के लिए परिवार के सदस्यों में (i) स्वयं (ii) पति/पत्नी (iii) पिता/माता सहित सौतेला पिता/सौतेली माँ (iv) भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन (v) पुत्र/पुत्री/सौतेला पुत्र/सौतेली पुत्री (vi) दामाद/बहू (vii) सास-ससुर (viii) दादा-दादी (मातृ एवं पैतृक दोनों) ।

\* नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलर के चयन की परिभाषा के अनुसार, मैं (श्री/श्रीमती/कुमारी) \_\_\_\_\_ (नाम) के परिवार का सदस्य हूँ, जो आईओसी\*/बीपीसी\*/एचपीसी के रिटेल आउटलेट डीलरशिप\* \_\_\_\_\_ (लोकेशन) पर " \_\_\_\_\_ " श्रेणी के अंतर्गत दिनांक \_\_\_\_\_ अखबार में छपे विज्ञापन के लिए आवेदन कर रहा है।

(\*यदि भूमि मालिक आवेदक के परिवार का सदस्य नहीं है, तो उपरोक्त दो पैराग्राफ हटा दें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ (गांव/नगर),  
तालुका/तहसील \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ मे अकेले/संयुक्त रूप से भू/सर्वेक्षण

संख्या \_\_\_\_\_ वाली भूमि का एक टुकड़ा रखती हूँ। जिसका माप \_\_\_\_\_ मीटर ( सामने का अग्रभाग)x \_\_\_\_\_ मीटर (गहराई) और क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ वर्ग मीटर है:

या

में, श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (गांव/नगर), तालुका/तहसील \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_ में अकेले/संयुक्त रूप से लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर (\_\_\_\_ वर्ष से \_\_\_\_\_ वर्ष तक) जमीन का एक टुकड़ा रखता हूँ, जिसका गट/सर्वेक्षण क्रमांक \_\_\_\_\_ है। निम्नलिखित विवरण के अनुसार \_\_\_\_\_ का राज्य जिसका माप \_\_\_\_\_ मीटर (सामने) x \_\_\_\_\_ मीटर (गहराई) है जिसका क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ वर्ग मीटर है:

भूमि के मालिक/लीज़ धारक का नाम	आवेदक के साथ संबंध**	विक्रय विलेख/उपहार करार/लीज़ करार के पंजीकरण की तिथि/नामांतरण की तिथि	खसरा/आंत /सर्वे नं	भूमि का आयाम		
				फ्रंटेज मीटर में	न्यूनतम. गहराई मीटर में	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1						
2						
3						

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

\*\* कृपया रिश्ते को योग्य बनाएं, यानी, (i) स्वयं (ii) जीवनसाथी (iii) पिता/माता सहित सौतेला पिता//सौतेली मां (iv) भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन (v) बेटा/बेटी/सौतेला पुत्र /सौतेली पुत्री (vi) दामाद / बहू (vii) सास-ससुर (viii) दादा-दादी (मातृ और पितृ दोनों)

2. वह श्री/श्रीमती/मैसर्स (इकाई का नाम) \_\_\_\_\_ समाचार पत्र \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में छपे विज्ञापन " \_\_\_\_\_ " श्रेणी \_\_\_\_\_ (लोकेशन) के तहत आईओसी\*/बीपीसी\*/एचपीसी\* के रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन कर रहा है।

3. यदि वह/मैसर्स (इकाई का नाम) को आरओ डीलरशिप के लिए चुना जाता है तो मैं उपरोक्त भूमि के टुकड़े को या तो ऑयल कंपनी या श्री/श्रीमती/ मैसर्स \_\_\_\_\_ को बेच/स्थानांतरित/लीज़ पर दे दूंगा। मेरे/सभी सह-मालिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित साइट योजना के अनुसार उपर्युक्त लोकेशन पर रिटेल आउटलेट सुविधाओं की स्थापना के लिए। लीज़ के मामले में, मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि भूमि का विषयगत टुकड़ा श्री/श्रीमती/कुम/मैसर्स \_\_\_\_\_ को लीज़ पर दिया गया है तो तेल कंपनी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा तेल कंपनी को लीज़ पर/उप-लीज़ पर दिया गया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यदि उपर्युक्त भूमि का उपयोग श्री/श्रीमती/ मैसर्स (इकाई का नाम) \_\_\_\_\_ द्वारा उपर्युक्त लोकेशन पर रिटेल आउटलेट सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

4. मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त विज्ञापन के तहत इस लोकेशन के रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मेरे द्वारा उक्त भूमि का टुकड़ा किसी अन्य व्यक्ति को पेश नहीं किया गया है।



4. मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई और घोषणा की गई

यह \_\_\_\_\_ दिन का \_\_\_\_\_

**हस्ताक्षर और सील**

**हस्ताक्षर**

**मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक**

**अभिसाक्षी का नाम और आवेदक के साथ संबंध**

नोट: स्टाम्प पेपर अभिसाक्षी के नाम से खरीदा जाना चाहिए

आवेदक से नोटरीकृत शपथ पत्र के संदर्भ में प्राइवेट में रोजगार राज्य/केन्द्र सरकार से  
वेतन/भत्तों/परिलब्धियों का क्षेत्र/आहरण।

(आवश्यक मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाना है)  
(डीलरशिप के लिए नियुक्ति पत्र की स्वीकृति से पहले व्यक्तिगत एलओआई धारक द्वारा  
प्रस्तुत किया जाना है)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*  
की आरओ डीलरशिप के लोकेशन \_\_\_\_\_ मामले में।

1. मैं, \_\_\_\_\_ का  
पुत्र/पुत्री/पत्नी, उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

2. कि मैंने, \_\_\_\_\_ श्रेणी \_\_\_\_\_ के अंतर्गत राज्य \_\_\_\_\_ जिले में \_\_\_\_\_ लोकेशन  
पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन\*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन\*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन\* की आरओ  
डीलरशिप के लिए आवेदन किया है और ऑयल कंपनी ने रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पत्र संदर्भ संख्या  
\_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से आशय पत्र जारी कर दिया है।

3. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं न तो निजी क्षेत्र में कार्यरत हूँ और न ही राज्य/केंद्र सरकार से कोई  
वेतन/भत्ते/परिलब्धियां प्राप्त कर रहा हूँ।

या

मैं नौकरी पर था और मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र स्वीकार किये जाने का प्रमाण संलग्न है।

4. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि डीलरशिप के कार्यकाल के दौरान मैं प्राइवेट में कोई रोजगार नहीं लूंगा। क्षेत्र और  
राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ प्राप्त करें।

मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई और घोषणा की गई

यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर और मुहर

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी

हस्ताक्षर


पब्लिक अभिसाक्षी का नाम

**आयामों सहित प्रस्तावित भूमि भूखंड का नमूना साइट मानचित्र/लेआउट स्केच**

1. विज्ञापित लोकेशन:		
2. प्रस्तावित प्लॉट विवरण:		
अ. प्लॉट नं.: (खसरा/खतौनी/लीज़/दाग/गट्टा/गुट/सर्वे/प्लॉट नं. आदि)		
अ. राजस्व गाँव :	ब. तहसील:	स. जिला:
राज्य:		
3. प्लॉट का आयाम: अग्रभाग ___ मीटर, गहराई ___ मीटर, क्षेत्रफल ___ वर्ग मीटर		
4. प्रमुख लैंडमार्क से प्लॉट की दूरी: _____ से _____ मीटर (लैंडमार्क का नाम)		
5. सड़क की मध्य रेखा से प्लॉट के किनारे (प्लॉट के सामने) की दूरी: _____ मीटर		
6. सड़क के रास्ते के अधिकार (पंक्ति) की चौड़ाई: _____ मीटर		
7. प्रस्तावित भूखंड से सटी सड़क का नाम/संख्या: (एनएच/एसएच/एमडीआर/ओडीआर/सड़क संख्या या सड़क का नाम)		

उत्तर





परिशिष्ट – VI

अजा/अजजाश्रेणी प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारूप  
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का  
 प्रपत्र।

एक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से एक होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए फॉर्म में जिला अधिकारी या उप-विभागीय अधिकारी या किसी अन्य से प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति जमा करनी चाहिए। नीचे बताए गए अनुसार उस जिले का अधिकारी जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर रहते हैं, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामित किया गया है। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से सामान्यतः निवास करता है। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा, किसी अन्य सत्यापित या सच्ची प्रति को नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ गांव/कस्बे/\* \_\_\_\_\_  
जिला/मंडल के \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_  
जाति/जनजाति से संबंधित हैं \_\_\_\_\_ जिसे एक के रूप में मान्यता प्राप्त है अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति\* के अंतर्गत:-

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\*

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\*

जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किया गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 \_\_\_\_\_

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप गुप) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 द्वारा संशोधित\*

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962.

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@.

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007।

% 2. जनजाति जाति, जनजाति जनजाति के लोगों के मामले लागू होते हैं, जो एक राज्य/केंद्र संयुक्त प्रदेश प्रशासन से स्थानांतरित होते हैं।

यह प्रमाणपत्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ गांव/कस्बे\* जिला/मंडल\*

\_\_\_\_\_ के श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पिता/माता \_\_\_\_\_ को जारी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ के आधार पर जारी किया जाता है। \*

\_\_\_\_\_ जो \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/केंद्र शासित

प्रदेश में \_\_\_\_\_ दिनांक द्वारा जारी किया गया है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में

मान्यता प्राप्त है\*

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या\* \_\_\_\_\_ उनका/उनका परिवार आम तौर पर

\_\_\_\_\_ जिला/मंडल के गांव/कस्बे\* \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र

शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ में रहता है।

जगह \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\*\* पदनाम (कार्यालय की मुहर के साथ)

\*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें

@कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश कोट करें

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

ध्यान दें: यहां प्रयुक्त सामान्यतः निवास(ओं) शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\*\* जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त। कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
- (iv) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ध्यान दें: तमिलनाडु राज्य से संबंधित एसटी उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

**अपिव श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारूप**

नोट: एक उम्मीदवार जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में भारत/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र, नीचे दिए गए फॉर्म की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

"अन्य पिछड़ा वर्ग" के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती. / कु. \_\_\_\_\_ श्री/श्रीमती का पुत्र/पुत्री। \_\_\_\_\_ गाँव/कस्बा \_\_\_\_\_ जिला/डिविजन \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शाषित प्रदेश \_\_\_\_\_, जिसे सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में निम्नानुसार मान्यता दी गई है।

क्रम संख्या	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प क्रमांक/अधिसूचना क्रमांक	भारत/राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना की तिथि।	संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

श्री/श्रीमती. / कु. \_\_\_\_\_ और/या उसकी/या उसका/ परिवार सामान्यतः गाँव/कस्बे में रहता है\* \_\_\_\_\_ जिला/डिविजन \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। क्रमांक 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 जिसे सरकार द्वारा संशोधित किया गया है। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013 स्था. (आरईएस) दिनांक 27/05/2013 और इस संबंध में प्रख्यापित कोई अन्य अनुवर्ती संशोधन।

स्थान: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर:

दिनांक : \_\_\_\_\_

पदनाम :

(कार्यालय की मुहर के साथ)

नोट:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।



- ख) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो "तहसीलदार" रैंक से नीचे का न हो और (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।
- ग) आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए वचन पत्र (परिशिष्ट VII बी के अनुसार शपथ पत्र) की तारीख को उम्मीदवार की अपिव स्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा और यह भी निर्धारित करने के लिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है। उम्मीदवार को ऊपर दिखाए गए निर्धारित प्रारूप में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक विवरण शामिल हों।

नोटरीकृत हलफनामे के रूप में घोषणा/वचनपत्र - केवल अपिव उम्मीदवारों के लिए

(आवश्यक मूल्य के उचित गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर टाइप किया जाना है)

मैं, \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ का निवासी, \_\_\_\_\_ जिले के गांव/कस्बे/शहर \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ में एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं \_\_\_\_\_ समुदाय से हूं, जिसे इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। (एससीटी), दिनांक 8/9/1993। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 8/9/1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या .36033/3/2004 स्था.(आरईएस.) दिनांक 14.10.2008 द्वारा संशोधित किया गया है। और इस संबंध में जारी किए गए कोई अन्य बाद के संशोधन।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(अभिसाक्षी)

लोकेशन: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई घोषणा/शपथ पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

झूठी घोषणा से आवेदक किसी भी समय आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**अर्धसैनिक/पुलिस/पीएसयू/सरकारी कार्मिक श्रेणी के लिए मानक प्रारूप (सीसी1)**

(केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के कर्मियों के लिए, प्रमाणपत्र केंद्र/राज्य सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाना है। केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों के लिए, प्रमाणपत्र केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक/मानव संसाधन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। पीएमपी के कर्मियों के लिए प्रमाणपत्र कार्मिक/मानव संसाधन में सक्षम प्राधिकारी या यूनिट के कमांडेंट द्वारा दिया जाना है।

प्रमाणपत्र जारी करने वाले सरकारी संगठन/विभाग/एजेंसी का नाम और पता

सन्दर्भ क्रमांक

दिनांक

अर्धसैनिक/पुलिस/पीएसयू/सरकारी कार्मिक श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाण पत्र

1. @प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. \_\_\_\_\_ जो इस कार्यालय में \_\_\_\_\_ के रूप में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु (तारीख) \_\_\_\_\_ को (लोकेशन) \_\_\_\_\_ पर हो गई थी। श्री/श्रीमती/कु. \_\_\_\_\_ को सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में (वीरता पुरस्कार का नाम) \_\_\_\_\_ से सम्मानित किया गया है, श्री/श्रीमती/कुमारी। (आवेदक का नाम) \_\_\_\_\_ (रिश्ता \_\_\_\_\_) हमारे रिकॉर्ड के अनुसार \_\_\_\_\_ श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पर निर्भर था।

या

2. @प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. \_\_\_\_\_ जो इस कार्यालय में \_\_\_\_\_ के रूप में कार्यरत थे, उनकी (दिनांक) \_\_\_\_\_ को (लोकेशन) \_\_\_\_\_ श्री/श्रीमती/कुमारी पर कार्य करते समय मृत्यु हो गई थी। (आवेदक का नाम) \_\_\_\_\_ (रिश्ता \_\_\_\_\_) हमारे रिकॉर्ड के अनुसार \_\_\_\_\_ श्री/श्रीमती/कुमारी पर निर्भर था।

या

3. @प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. \_\_\_\_\_ (आवेदक का नाम) \_\_\_\_\_ हमारे संगठन \_\_\_\_\_ में काम कर रहा था और (लोकेशन) \_\_\_\_\_ पर कर्तव्यों का पालन करते समय (तारीख) \_\_\_\_\_ को अक्षम कर दिया गया है।

या

4. @प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. \_\_\_\_\_ जो इस कार्यालय में \_\_\_\_\_ के रूप में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु (दिनांक) \_\_\_\_\_ को (लोकेशन) \_\_\_\_\_ पर

इयूटी के दौरान हो गई थी। श्री/श्रीमती/कुमारी। \_\_\_\_\_ (आवेदक का नाम) \_\_\_\_\_ हमारे रिकॉर्ड के अनुसार \_\_\_\_\_ (रिश्ता \_\_\_\_\_) श्री/श्रीमती/कुमारी पर निर्भर था।

या

1. @प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. \_\_\_\_\_ हमारे संगठन \_\_\_\_\_ में काम कर रहा था और जिम्मेदार कारणों से (तारीख) \_\_\_\_\_ को शांति से अक्षम कर दिया गया है।

@यदि लागू न हो तो हटा दें।

आवेदक के सत्यापित हस्ताक्षर

लोकेशन : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर :

नाम :

पद का नाम:

कार्यालय सील:

फॉर्म ॥

## विकलांगता प्रमाण पत्र

(अंगों के स्थायी पक्षाघात के विच्छेदन के मामलों में और अंधपन के मामलों में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी  
आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा  
दिखाता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ की सावधानीपूर्वक जांच कर लिया है। श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, (दिन/माह/वर्ष) पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ मकान संख्या \_\_\_\_\_ वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ का स्थायी निवासी है जिसका फोटो ऊपर लगा है, और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(ए) यह मामला (कृपया लागू होने पर टिक करें)

- लोको-मोटर विकलांगता
  - बौनापन
  - अंधापन
- है

(बी) उनके केस की जांच पड़ताल में \_\_\_\_\_ है

भारत का राजपत्र: असाधारण (भाग II-खंड 3 (1))

(ए) दिशा-निर्देशों के अनुसार (\_\_\_\_\_ संख्या और दिशानिर्देश जारी करने की निर्दिष्ट तारीख) उसके शरीर के अंग के संबंध में उसे \_\_\_\_\_% (आंकड़े में) \_\_\_\_\_ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक हानि / अंधापन है।

(बी) वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है या पागलपन से पीड़ित नहीं है या संज्ञानात्मक क्षमताओं से वंचित नहीं है।

2. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में  
विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र - III

विकलांगता प्रमाण पत्र

(बहुविकलांगता के मामले में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी  
आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा  
दिखाता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या:

दिनांक :

(क) 1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ की सावधानीपूर्वक जांच की है। श्री \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ (दिन/माह/वर्ष) पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ मकान संख्या \_\_\_\_\_ का स्थायी निवासी वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ जिसका फोटो है ऊपर चिपका दिया गया है, और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(ख) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई विकलांगता के लिए दिशानिर्देशों ( \_\_\_\_\_ संख्या और दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख) के अनुसार किया गया है, और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षीणता/मानसिक विकलांगता (% में)

1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	बौनापन			
5.	सेरेब्रल पाल्सी			
6.	एसिड अटैक पीड़िता			
7.	लो-विज़न	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बहरापन	£		
10.	सुनने में कठिनाई होना	£		
11.	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
12.	बौद्धिक विकलांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल			
17.	मल्टीपल स्केलेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(घ) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी संपूर्ण स्थायी शारीरिक हानि इस प्रकार है:

अंकों में \_\_\_\_\_%

शब्दों में \_\_\_\_\_ प्रतिशत

(ङ) वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है या संज्ञानात्मक क्षमताओं से वंचित पागलपन से पीड़ित नहीं है

1. यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है

2. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन है:

(i) आवश्यक नहीं

या

(ii) \_\_\_\_\_ वर्षों \_\_\_\_\_ महीनों के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ तक वैध होगा



(डीडी) (एमएम) (वाईवाई) DDMMYY

@ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर

# उदा. एक आँख/दोनों आँखें

£ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों कान।

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं:-

दस्तावेज़ का नाम	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म IV

विकलांगता प्रमाण पत्र

(फॉर्म II और III में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामले में)  
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)  
(नियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी  
आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा  
दिखाता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु. \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री \_\_\_\_\_ की जन्म तिथि \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ (दिन/माह/वर्ष) पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ घर का स्थायी निवासी की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। क्रमांक \_\_\_\_\_ वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूँ कि वह \_\_\_\_\_ विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों ( \_\_\_\_\_ संख्या और दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षीणता/मानसिक विकलांगता (% में)

1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्कलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	बौनापन			
5.	सेरेब्रल पाल्सी			
6.	एसिड अटैक पीड़िता			
7.	लो-विज़न	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बहरापन	£		
10.	सुनने में कठिनाई होना	£		
11.	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
12.	बौद्धिक विकलांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल			
17.	मल्टीपल स्केलेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन अक्षमताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं)

1. वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है या संज्ञानात्मक क्षमताओं से वंचित पागलपन से पीड़ित नहीं है

2. उपरोक्त स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन है:

(i) आवश्यक नहीं

या

(ii) \_\_\_\_\_ वर्षों \_\_\_\_\_ महीनों के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिनांक) (माह) (वर्ष) तक वैध रहेगा

(डीडी) (एमएम) (वाईवाई) DDMMYY

@ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर

# उदा. एक आँख/दोनों आँखें

£ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों कान।

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का नाम	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

{सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर, यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है (मुहर के साथ)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का  
निशान जिसके पक्ष में विकलांगता  
प्रमाण पत्र जारी किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।

नोटरीकृत शपथ पत्र

(आवश्यक मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाना है)

(व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

मैं, \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ में रहता हूँ। \_\_\_\_\_ (स्थान) \_\_\_\_\_ (जिला) \_\_\_\_\_ (राज्य) पर आरओ डीलरशिप के लिए मेरे आवेदन के संबंध में, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार कहता हूँ:

1	कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ (आयकर नियम 1 के अनुसार)										
2	मेरी जन्मतिथि है <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>दि</td><td>दि</td><td>/</td><td>म</td><td>म</td><td>/</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td> </tr> </table>	दि	दि	/	म	म	/	व	व	व	व
दि	दि	/	म	म	/	व	व	व	व		
3	कि मैंने मैट्रिक / 10वीं बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष..... में उत्तीर्ण कर ली है / वर्ष .....में 10वीं <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td> </tr> </table> कक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष सशस्त्र बलों द्वारा जारी प्रमाण पत्र	व	व	व	व						
व	व	व	व								
4	मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं "नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में खंड "अयोग्यता" के तहत परिभाषित मल्टीपल डीलरशिप मानदंड की प्रयोज्यता के अनुसार रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन के लिए पात्र हूँ और रिटेल आउटलेट डीलरशिप में उल्लिखित अन्य शर्तों के तहत आवंटन के लिए अयोग्य नहीं हूँ।										
5	मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (जैसा कि ब्रोशर के खंड "अयोग्यता" के तहत परिभाषित है) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर्मचारी नहीं है।										
6(अ)	कि मैं अविवाहित हूँ या कि मैं विवाहित हूँ और मेरे जीवनसाथी का नाम श्री/श्रीमती _____ है										
6(ब)	मेरी शादी से पहले मेरा नाम _____ था और श्री _____ से मेरी शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती कर दिया गया है। _____ (केवल महिला आवेदकों के लिए, जहां भी लागू हो)										
6(स)	यह कि मेरा नाम पहले श्री/श्रीमती/कुमारी _____ था और दिनांक 01.10.2010 से बदलकर श्री/श्रीमती/कुमारी _____ कर दिया गया है। _____ (आवेदक द्वारा नाम परिवर्तन के मामले में लागू)										
7	कि, मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है और मैं पूरी तरह से अपाहिज नहीं हूँ।										
8	मुझे कभी भी नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।										
9	मैं पुष्टि करता हूँ कि तेल कंपनी से इस आशय की सूचना मिलने के 4 महीने के भीतर तेल कंपनी से एक्स-एमआई आधार पर उत्पादों की डिलीवरी लेने की व्यवस्था की जाएगी।										
10	मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि न तो मैं और न ही मेरी "पारिवारिक इकाई" का कोई सदस्य (जैसा कि अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है), कभी भी किसी भी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, जिसे सिद्ध कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था।										

11	<p>यदि मुझे आरओ डीलरशिप के लिए चुना जाता है, तो मैं विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देश और समयसीमा के अनुसार आवंटित आउटलेट पर वांछित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने आउटलेट के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी, जैसा कि लोकेशन के विज्ञापन में बताया गया है और व्यवस्था करने का भी वचन देता हूँ।</p>
12	<p>कि आवेदन पत्र के खंड संख्या 9 में उल्लिखित विवरण, भूमि से संबंधित सह-मालिक/मालिकों (यदि लागू हो) का शपथ पत्र:-</p> <p>क) क्या ये सत्य हैं और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>बी) यदि मुझे आरओ डीलरशिप के लिए चुना जाता है, तो मैं उस लोकेशन पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित उक्त भूखंड की व्यवस्था करने का वचन देता हूँ, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है।</p> <p>ग) मुझे पता है कि मेरा दावा, जैसा कि ऊपर दिया गया है, यदि आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है या किसी भी स्तर पर भिन्न पाया जाता है, तो परिणामस्वरूप मेरा आवेदन/उम्मीदवारी तेल कंपनी द्वारा आगे के विचार के लिए अमान्य हो जाएगी।</p> <p>घ) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) द्वारा आवश्यक रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि को एलओआई में उल्लिखित अवधि के भीतर उपलब्ध कराने में मेरी असमर्थता है, तो आवंटन वापस लिया जा सकता है और तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ मेरा कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।</p> <p>ई) मुझे यह भी पता है कि इस आरओ डीलरशिप के लिए मेरे चयन के मामले में मेरे लिए सड़क के स्तर तक विधिवत विकसित प्रवेश / निकास / त्वरण / डी-एक्सेलरेशन / सर्विस रोड सहित प्रस्तावित भूमि सौंपना बाध्यकारी होगा। अच्छी मिट्टी/मुर्रम, तेल विपणन कंपनी की संतुष्टि के लिए मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार परत के अनुसार कॉम्पैक्ट की गई और मैं न्यूनतम ऊंचाई 1.5 मीटर की रिटेनिंग दीवार और कंपाउंड दीवार प्रदान करूंगा, जिसे साइट की स्थितियों के अनुसार डिजाइन किया गया है और तेल विपणन कंपनी इंजीनियरों द्वारा अनुमोदित किया गया है।</p> <p>च) मैं यह भी जानता हूँ कि विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देश और समयसीमा के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने में मेरी असमर्थता की स्थिति में, आवंटन वापस लिया जा सकता है और मैं तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ किसी भी तरह का कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं करूंगा।</p> <p>छ) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि राज्य _____ जिले में _____ लोकेशन पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि का वही टुकड़ा किसी अन्य आवेदक द्वारा उसी उद्देश्य के लिए पेश किया जाता है, तो आरओ डीलरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
13	<p>मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं डीलर के रूप में अपनी नियुक्ति पर न तो कोई अन्य रोजगार लूंगा और न ही राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियां लूंगा।</p>

	यदि मैं पहले से ही कार्यरत हूँ तो मैं रोजगार से इस्तीफा दे दूंगा और तेल कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्र की स्वीकृति से पहले अपने नियोक्ता द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने का प्रमाण प्रस्तुत करूंगा।
14	मैं वचन देता हूँ कि यदि चयनित हुआ, तो मैं डीलरशिप के मामलों को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करके डीलरशिप के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर ध्यान दूंगा और कोई रोजगार लेने के लिए पात्र नहीं होऊंगा।
15	मैं विवाहित हूँ. यदि डीलरशिप मुझे प्रदान की जाती है तो मैं डीलरशिप में पति या पत्नी को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के संबंध में _____ (तेल कंपनी का नाम) की शर्तों को पूरा करने का वचन देता हूँ। या मेरी विवाह नहीं हुआ है। मैं अपने विवाह के बारे में कंपनी को सूचित करने का वचन देता हूँ और यदि डीलरशिप मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर डीलरशिप में पति या पत्नी को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के संबंध में _____ (तेल कंपनी का नाम) की शर्तों को पूरा करने का वचन देता हूँ।
16	मैं वचन देता हूँ कि मैं उक्त डीलरशिप के पुरस्कार/संचालन के संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत सरकार या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा जारी किए गए सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन समय - समय पर करूंगा।
17	यदि मेरे आवेदन में या आरओ डीलरशिप के पुरस्कार के लिए आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज़ में या इस हलफनामे में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी/घोषणा असत्य या गलत या झूठी पाई जाएगी, _____ (नाम का नाम) ऑयल कंपनी) को आशय पत्र वापस लेने/डीलरशिप समाप्त करने का अधिकार होगा (यदि पहले से ही नियुक्त है) और ऐसी वापसी/समाप्ति के लिए कॉर्पोरेशन के खिलाफ मेरा कोई भी दावा नहीं होगा।
18	कि, यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार _____ रुपये की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि जमा करूंगा।
19	कि, यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तेल कंपनी की नीति के अनुसार (डीलर के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू)। (डीसी साइटों के लिए) रुपये की गैर-वापसीयोग्य निश्चित फीस का भुगतान करूंगा। या यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं गैर-वापसीयोग्य अंतिम बोली राशि (कॉर्पस फंड आरओ को छोड़कर कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू) का भुगतान करूंगा। (सीसी साइट्स के लिए)
20	मुझे पता है कि गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण मेरे या मेरी "पारिवारिक इकाई" (अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों के लिए मल्टीपल डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित) द्वारा धारित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, नियंत्रण आदेश या ईएसएमए, अदालती मामलों, कारण बताओ नोटिस आदि का उल्लंघन, किया गया आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी लंबित कार्यवाही में प्रतिकूल फैसले की स्थिति में आवंटन रद्द होने की स्थिति में मैं किसी भी दावे, क्षति आदि का हकदार नहीं रहूंगा।
21	मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय झूठी जानकारी/तथ्यों की गलत बयानी/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी तेल विपणन कंपनी द्वारा मेरी उम्मीदवारी कभी भी खारिज/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं की गई है।
22	मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*. के _____ (लोकेशन) पर आरओ डीलरशिप के लिए मेरे द्वारा दिए गए आवेदन में

	मेरे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में मूल रूप से सहायक दस्तावेज मेरे पास हैं। यदि चयन किया जाता है, तो इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस आवेदन में गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के कारण चयन रद्द कर दिया जाएगा।
23	केवल एसकेओ डीलरों की श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए* (*जो लागू न हो उसे काट दें) कि मैं _____ (तेल विपणन कंपनी का नाम) के एसकेओ डीलरशिप का एकमात्र मालिक/साझेदार हूं, _____ के नाम और शैली में _____ (लोकेशन) पर आरओ डीलरशिप के लिए विज्ञापन के महीने के ठीक 12 महीने पहले के दौरान प्रति माह 75 किलो एसकेओ के औसत आवंटन से नीचे काम कर रहा हूं। बी। विज्ञापन की तारीख से पहले पिछले 5 वर्षों के भीतर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए मुझे दंडित नहीं किया गया है और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों, डीलरशिप समझौते, केरोसिन नियंत्रण आदेश या ईएसएमए के तहत मेरी डीलरशिप के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे पता है कि यदि मुझे आरओ डीलरशिप के लिए चुना जाता है, तो मुझे आईओसी/बीपीसी/एचपीसी द्वारा आरओ डीलर के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप सरेंडर करनी होगी।

<sup>1</sup> यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा, तो उसे उसकी नागरिकता के बावजूद आयकर नियमों के अनुसार भारत का निवासी माना जाता है। यदि प्रवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी है।

\* जो लागू न हो उसे काट दें।

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(नाम ब्लॉक लेटर्स में)

मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई और घोषणा की गई।

यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ के

हस्ताक्षर एवं मुहर

मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

नोट: स्टाम्प पेपर अभिसाक्षी के नाम से खरीदा जाना चाहिए



नोटरीकृत शपथ पत्र

(आवश्यक मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाना है)

(गैर-व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड\* के \_\_\_\_\_ (लोकेशन) पर आरओ डीलरशिप के मामले में, जबकि \_\_\_\_\_ (पंजीकृत सोसायटी\*/कंपनी\*/चैरिटेबल ट्रस्ट\* का नाम) \_\_\_\_\_ (लोकेशन) ने \_\_\_\_\_ (तेल कंपनी का नाम) लिमिटेड की आरओ डीलरशिप के लिए \_\_\_\_\_ पर आवेदन किया है।

मैं, \_\_\_\_\_ का बेटा/बेटी/पत्नी, उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, \_\_\_\_\_ का निवासी, \_\_\_\_\_ की \_\_\_\_\_ की क्षमता से, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ:

1	कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से मुझे पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से उक्त डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया गया है। संकल्प/प्राधिकरण की एक प्रति इस हलफनामे का हिस्सा बनकर संलग्न है।
2	यह कि उक्त पंजीकृत सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या 1912 या _____ राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है * / कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत बनाई गई है* / चैरिटेबल ट्रस्ट* राज्य के चैरिटी आयुक्त के साथ पंजीकृत है _____ * (राज्य का नाम) की सरकार _____ (पंजीकरण/कॉर्पोरेशन की तिथि) और पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोकॉपी इस शपथ पत्र का हिस्सा बनकर संलग्न है।
3	जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है कि हमारी पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी* ने पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया था (पीएसीएस के लिए लागू नहीं)।
4	पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से मैं वचन देता हूँ कि हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* द्वारा जारी उक्त डीलरशिप के पुरस्कार/संचालन के संबंध में सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। / हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* / भारत सरकार या कोई अन्य वैधानिक निकाय समय-समय पर।
5	पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से मैं वचन देता हूँ कि हम डीलरशिप का संचालन स्वयं करेंगे।
6	यह कि न तो हमारी पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* और न ही इस पंजीकृत सोसायटी*/चैरिटेबल ट्रस्ट*/कंपनी के निदेशकों* के शासी निकाय/प्रबंध निकाय/ऐसे किसी अन्य निकाय के किसी भी सदस्य को किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। कानून के तहत दंडनीय नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए। (सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाइयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख शेरधारिता के रूप में परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू नहीं)
7	यह कि न तो हमारी पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* और न ही इसके शासी निकाय/प्रबंध निकाय/इस पंजीकृत सोसायटी के किसी अन्य निकाय*/चैरिटेबल ट्रस्ट*/कंपनी के निदेशक* का कोई भी सदस्य, जिसमें उनके "परिवार" के

	<p>सदस्य भी शामिल हैं। यूनिट" (जैसा कि अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों/गैर-व्यक्तियों के लिए मल्टीपल डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित किया गया है) कभी भी किसी भी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता थी, जिसे कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था। (सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाइयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख शेयरधारिता के रूप में परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू नहीं)</p>
8	<p>हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम "नियमित और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए डीलरों के चयन के लिए ब्रोशर" में खंड "अयोग्यता" के तहत परिभाषित मल्टीपल डीलरशिप मानदंड की प्रयोज्यता के अनुसार उसमें उल्लिखित अन्य शर्तों के तहत रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन के लिए पात्र हैं और रिटेल आउटलेट के आवंटन के लिए अयोग्य नहीं हैं।</p>
9	<p>पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से, मैं वचन देता हूँ कि तेल कंपनी से इस आशय की सूचना मिलने के 4 महीने के भीतर तेल कंपनी से एक्स-एमआई आधार पर उत्पादों की डिलीवरी लेने की व्यवस्था की जाएगी। .</p>
10	<p>पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से मैं विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और समय-सीमा के अनुसार आवंटित आउटलेट पर वांछित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने का वचन देता हूँ। और लोकेशन के विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार आउटलेट के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने का भी कार्य करेगा।</p>
11	<p>पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/चैरिटेबल ट्रस्ट* की ओर से मैं वचन देता हूँ कि भूमि से संबंधित आवेदन पत्र के खंड संख्या 9 में उल्लिखित विवरण:-</p> <p>क) क्या ये सत्य हैं और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज तेल कंपनी द्वारा सलाह दिए जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>बी) यदि हमें आरओ डीलरशिप के लिए चुना जाता है, तो हम राज्य _____ के जिला _____ लोकेशन पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित उक्त भूखंड की व्यवस्था करने का वचन देते हैं, जिसके लिए हमने आवेदन किया है।</p> <p>ग) हम जानते हैं कि हमारा दावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है या किसी भी स्तर पर भिन्न पाया जाता है, तो परिणामस्वरूप हमारा आवेदन/उम्मीदवारी तेल कंपनी द्वारा आगे के विचार के लिए अमान्य हो जाएगी।</p> <p>घ) हम यह भी जानते हैं कि तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) द्वारा आवश्यक रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि एलओआई में उल्लिखित अवधि के भीतर उपलब्ध कराने में हमारी असमर्थता की स्थिति में, तो आवंटन वापस लिया जा सकता है और हमारा तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ कोई दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।</p> <p>ई) हम यह भी जानते हैं कि इस आरओ डीलरशिप के लिए हमारे चयन के मामले में, सड़क स्तर तक विधिवत विकसित प्रवेश / निकास / त्वरण / डी-एक्सेलरेशन / सर्विस रोड सहित प्रस्तावित भूमि को सौंपना हमारे लिए बाध्यकारी होगा। अच्छी मिट्टी/मुर्रम के साथ, तेल विपणन कंपनी की संतुष्टि के लिए मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार परत के अनुसार कॉम्पैक्ट किया गया है और हम न्यूनतम ऊंचाई 1.5 मीटर की रिटेनिंग दीवार और कंपाउंड दीवार प्रदान करेंगे,</p>

	<p>जिसे साइट की स्थितियों के अनुसार डिजाइन किया गया है और तेल विपणन कंपनी इंजीनियरों द्वारा अनुमोदित किया गया है।</p> <p>च) हम यह भी जानते हैं कि विज्ञापन/एलओआई में तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) द्वारा निर्धारित विनिर्देश और समयसीमा के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने में हमारी असमर्थता की स्थिति में, आवंटन वापस लिया जा सकता है और तेल कंपनी _____ (तेल कंपनी का नाम) के विरुद्ध हमारा कोई भी दावा/क्षतिपूर्ति नहीं होगी।</p> <p>छ) हम यह भी जानते हैं कि यदि राज्य _____ जिले में _____ लोकेशन पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि का वही टुकड़ा किसी अन्य आवेदक द्वारा उसी उद्देश्य के लिए पेश किया जाता है, तो आरओ डीलरशिप के लिए हमारी उम्मीदवारी होगी अस्वीकार कर दिया।</p>
12	<p>मैं वचन देता हूँ कि हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड* / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* / हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* / भारत सरकार या किसी अन्य वैधानिक संस्था द्वारा समय-समय पर जारी उक्त डीलरशिप के पुरस्कार/संचालन के संबंध में सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।</p>
13	<p>मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*. के _____ (लोकेशन) पर आरओ डीलरशिप के लिए मेरे द्वारा दिए गए आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में मूल रूप से सहायक दस्तावेज हमारे पास हैं। यदि चयन किया जाता है, तो इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस आवेदन में गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के कारण चयन रद्द कर दिया जाएगा।</p>
14	<p>यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि हम कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार _____ रुपये की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि जमा करेंगे।</p>
15	<p>कि, यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं रुपये की गैर-वापसीयोग्य निश्चित फीस का भुगतान करूंगा। _____ कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार (डीलर के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू)। (डीसी साइटों के लिए)</p> <p>या</p> <p>यदि चयन किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं गैर-वापसीयोग्य अंतिम बोली राशि (कॉर्पस फंड आरओ को छोड़कर कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली साइटों के लिए लागू) का भुगतान करूंगा। (सीसी साइट्स के लिए)</p>
16	<p>मुझे पता है कि हमारे या इसके शासी निकाय/प्रबंध निकाय/इस पंजीकृत सोसायटी के किसी अन्य निकाय/चैरिटेबल ट्रस्ट*/ कंपनी के निदेशक* के किसी भी सदस्य द्वारा धारित डीलरशिप/वितरक के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में या उनकी पारिवारिक इकाई के सदस्य (अयोग्यता मानदंड वाले व्यक्तियों के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषित) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप समझौते, नियंत्रण आदेश या ईएसएमए, अदालती मामलों, कारण बताओ नोटिस आदि के उल्लंघन के लिए गंभीर/प्रमुख अनियमितताओं के कारण। , किया गया आवंटन सशर्त होगा और ऐसी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी लंबित कार्यवाही में प्रतिकूल फैसले की स्थिति में आवंटन रद्द होने की स्थिति में हम किसी भी दावे, क्षति आदि के हकदार नहीं होंगे।</p>
17	<p>मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि आरओ/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने/तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने/झूठे/फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी तेल</p>

	विपणन कंपनी द्वारा हमारी उम्मीदवारी कभी भी खारिज/चयन रद्द/डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त नहीं की गई है।
18	मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* के _____ (लोकेशन) पर आरओ डीलरशिप के लिए मेरे द्वारा दिए गए आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में मूल रूप से सहायक दस्तावेज हमारे पास हैं। यदि चयन किया जाता है, तो इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस आवेदन में गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के कारण चयन रद्द कर दिया जाएगा।
19	यदि इस आवेदन में या डीलरशिप के पुरस्कार के लिए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किसी दस्तावेज में या इस हलफनामे में दी गई कोई भी जानकारी/घोषणा असत्य या गलत या झूठी पाई जाएगी, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* के पास आशय पत्र वापस लेने/डीलरशिप समाप्त करने (यदि पहले से ही नियुक्त है) का अधिकार होगा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*के खिलाफ ऐसी वापसी/समाप्ति के लिए हमारा कोई भी दावा नहीं होगा।

\* जो लागू न हो उसे काट दें।

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(नाम ब्लॉक लेटर्स में)

मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई और घोषणा की गई। यह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ के

हस्ताक्षर एवं मुहर

मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

नोट: स्टाम्प पेपर अभिसाक्षी के नाम से खरीदा जाना चाहिए

अस्वीकरण: किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विवाद की स्थिति में इस दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।